

# सामाजार्थिक समीक्षा कुमाऊँ मण्डल वर्ष 2016



उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या,  
कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।

फोन नं०- 05946-222465

**E Mail - [ddecostat@gmail.com](mailto:ddecostat@gmail.com)**

## प्रस्तावना

कुमाऊँ मण्डल की वर्ष २०१७-२०१६ की सामाजिक समीक्षा प्रकाशन श्रृंखला का ३४ वाँ संस्करण है। इसके अन्तर्गत मण्डल की भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक संरचना, प्राकृतिक संसाधन, जनशक्ति एवं पशुधन, कृषि, उद्यान, सिंचाई, उद्योग, ग्राम्य विकास, विद्युत, परिवहन, संचार, पर्यटन एवं सामाजिक व आर्थिक सेवाओं का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है। प्रायः प्रत्येक अध्याय में प्रदेश की तुलना में मण्डल की स्थिति तथा मण्डल के भीतर जनपदों की स्थिति का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। पुस्तिका को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से विस्तृत आँकड़ों को अध्यायों के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

पत्रिका के प्रकाशन में मण्डल के समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों, श्री हरीश चन्द्र भट्ट, कार्टोग्राफिक सहायक एवं कार्यालय के अन्य सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में पत्रिका को ससमय प्रकाशित करने एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए जनपदों से त्रुटिरहित आंकड़े उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त होता रहेगा। प्रबुद्ध पाठकों के बहुमूल्य सुझाव का सदैव आदर किया जायेगा।

( राजेन्द्र तिवारी )  
उप निदेशक  
अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल।

क्रम संख्या	विभाग / अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	मण्डल का ऐतिहासिक परिचय / भौगोलिक स्थिति	1-6
2	खनिज सम्पदा	7
3	प्रशासनिक ढाँचा	8-9
4	जनसंख्या विवरण	10-11
5	कृषि	12-15
6	उद्यान	16-17
7	वन	18-20
8	पशुपालन	21-22
9	सहकारिता	23-24
10	सिंचाई	25-26
11	दुग्ध विकास	27-31
12	मत्स्य विकास	32
13	ग्राम्य विकास	33-39
14	विद्युत	40
15	उद्योग	41-42
16	परिवहन एवं संचार	43-44
17	बैंकिंग सेवायें	45
18	शिक्षा	46-48
19	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	49
20	जल सम्पूर्ति	50
21	पर्यटन	51-57
22	सेवायोजन	58
23	निर्बल वर्ग विकास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम	59-73
24	शान्ति एवं कानून व्यवस्था	74
25	मण्डल की प्रमुख समस्याएं / सुझाव	75-77



## अनुक्रमणिका

### महत्वपूर्ण अधिकारियों / कार्यालयों के दूरभाष नम्बर

क्र० सं०	नाम कार्यालय	कोड नम्बर	दूरभाष नम्बर	फैक्स नम्बर
01.	सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	0135	2712055	
02.	अपर सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	0135	2712013	
03.	निदेशक अर्थ एवं संख्या उत्तराखण्ड, देहरादून	0135	2712013	2712604
04.	अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0135	2654871	2712604
05.	संयुक्त निदेशक, 20 सूत्रीय कार्यक्रम विभाग देहरादून	0135	2669154	
06.	उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या गढ़वाल मण्डल पौड़ी	01368	222362	222362
07.	आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल	05942	235750	236041
08.	अपर आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल	05942	237084	236041
09.	उप श्रमायुक्त, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी	05946	222032	
10.	सहायक आयुक्त खाद्य, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी	05946	220999	
11.	अपर निदेशक, चिकित्सा कुमाऊँ मण्डल नैनीताल	05942	236224	
12.	संयुक्त निदेशक (कृषि) कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी	05946	264422	
13.	संयुक्त निदेशक, शिक्षा कुमाऊँ मण्डल नैनीताल	05942	236102	237652
14.	उप निदेशक, पशुपालन कुमाऊँ मण्डल नैनीताल	05942	236204	
15.	उप निदेशक, उद्यान कुमाऊँ मण्डल, भवाली	05942	221288	
16.	उप निदेशक (रेशम) कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी	05946	261596	
17.	अधीक्षण अभियंता निजी लघु सिंचाई, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी	05946	264061	
18.	सहायक निदेशक (मत्स्य) कुमाऊँ मण्डल, भीमताल	05942	247290	
19.	मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल	05942	236218	
20.	महाप्रबंधक पावर कॉरपोरेशन, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी	05946	267289	
21.	महाप्रबंधक जल संस्थान, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल	05942	235382	
22.	मुख्य अभियंता (उत्तर) सिंचाई हल्द्वानी	05946	221028	
23.	मुख्य अभियंता, पेयजल निगम नैनीताल	05942	235708	237067
24.	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा	05962	230294	
<b>जिलाधिकारी</b>				
25.	नैनीताल	05942	235684	236305
26.	ऊधमसिंहनगर	05944	242344	243812
27.	अल्मोड़ा	05962	230170	230435
28.	बागेश्वर	05963	220663	220328
29.	पिथौरागढ़	05964	225301	225395
30.	चम्पावत	05965	230285	230295
<b>मुख्य विकास अधिकारी</b>				
31.	नैनीताल	05942	248311	248311
32.	ऊधमसिंहनगर	05944	241472	241472
33.	अल्मोड़ा	05962	230027	230027
34.	बागेश्वर	05963	221258	220570
35.	पिथौरागढ़	05964	225336	225336
36.	चम्पावत	05965	230550	230550
<b>अर्थ एवं संख्याधिकारी</b>				

37.	नैनीताल	05942	248414	248414
38.	रुधमसिंहनगर	05944	250260	250260
39.	अल्मोड़ा	05962	230321	230321
40.	बागेश्वर	05963	220725	220725
41.	पिथौरागढ़	05964	225742	225143
42.	चम्पावत	05965	230699	230983

## अध्याय – 1

### मण्डल का ऐतिहासिक परिचय/भौगोलिक स्थिति

प्राकृतिक सौन्दर्य, सुरम्य घाटियों तथा धार्मिक व पौराणिक स्थलों से सुशोभित कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड प्रदेश की उत्तरी सीमा में स्थित है। उत्तर दिशा में तिब्बत, पूर्व दिशा में नेपाल की सीमायें, पश्चिम दिशा में चमोली, पौड़ी गढ़वाल तथा बिजनौर जनपद की सीमायें तथा दक्षिण दिशा में उ०प्र० के जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत की सीमायें हैं। भौगोलिक दृष्टि से मण्डल 28'7° से 30° उत्तरी अक्षांश तथा 78'7° से 81'1° पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। कुमायूँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21034 वर्ग किमी० है, जो उत्तराखण्ड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33 प्रतिशत है।

कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत कुल 6 जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा चम्पावत हैं। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। जनपद चम्पावत के तीन विकास खण्ड लोहाघाट, पाटी एवं बाराकोट पूर्ण पर्वतीय तथा विकास खण्ड चम्पावत का कुछ क्षेत्र मैदानी है। जनपद नैनीताल में 6 विकास खण्ड पर्वतीय क्षेत्र तथा 2 विकास खण्ड हल्द्वानी तथा रामनगर भावर क्षेत्र में आते हैं। ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र है।

मैदानी भाग भावर व तराई क्षेत्र में विभाजित है। पर्वतीय क्षेत्र के बाद तुरन्त ही एक पट्टी ऐसी पाई जाती है जहाँ पर्वतों के नीचे उतरने वाली नदियों ने बहुत दूर तक छोटे-बड़े शिलाखण्ड लाकर एकत्र कर दिये हैं। इस क्षेत्र में अधिक वन पाये जाते हैं। यहाँ भूमिगत जल का अभाव है। लगभग 50-60 मीटर गहराई तक भी जल प्रायः नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से विकास खण्ड हल्द्वानी, कोटाबाग तथा रामनगर आते हैं। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। जहाँ भूमिगत जल प्रायः 10 मीटर की गहराई तक उपलब्ध हो जाता है। यह भाग उत्तर प्रदेश के रुहेलखण्ड तथा मुरादाबाद मण्डलों के मैदानी क्षेत्र से लगा है।

तराई क्षेत्र पूर्व में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा से लेकर पश्चिम में विकास खण्ड जसपुर तक फैला है। इनमें ऊधमसिंहनगर के समस्त सात विकास खण्ड सम्मिलित हैं। यह भाग सामान्य उतार-चढ़ाव के साथ दक्षिण पूर्व की ओर ढला हुआ है, जो उत्तम प्रकार की दोमट मिट्टी से भरपूर है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की

चट्टानें या कंकरीली भूमि नहीं पायी जाती है। मण्डल मुख्यालय नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र में ऊँची पर्वत श्रेणियाँ तथा घाटियाँ हैं। पर्वत श्रेणियों की अधिकतम ऊँचाई 26 हजार फुट तक है। सर्वाधिक ऊँची चोटियां पंचाचूली एवं त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात है। इस क्षेत्र में समतल भूमि बहुत कम है, जिसके कारण आवागमन में विशेष रूप से कठिनाई आती है। पर्वतीय क्षेत्र में भूमिगत जल प्रायः नगण्य है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिये बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यह क्षेत्र वनों से आच्छादित है। केवल जनपद नैनीताल का भावर क्षेत्र तथा ऊधमसिंह नगर विकास की अग्रिम पंक्ति में है।


**नैनीताल** :- अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल नैनीताल जनपद में छोटे-बड़े अनेक ताल है, किन्तु सर्वाधिक प्रसिद्धि नैनीताल नगर में स्थित नैनीताल सरोवर ने प्राप्त की है।



नीलमणी के नयनाभिराम ताल की सजग प्रहरियों के समान घिरे हुए सात पर्वतों से बनी रमणिक घाटी में नैनीताल बसा है। नैनीताल नगर का यह ताल कब और कैसे अस्तित्व में आया, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं स्कन्द पुराण के अनुसार किसी समय अत्रि, पुलस्य और पुलक नामक तीन ऋषि इस

स्थान पर तपस्या किया करते थे। उन्होंने ही योगबल से इस सरोवर और स्थान का नाम त्रिशेखर रखा, परन्तु यह नाम न जाने कब लुप्त हो गया और "नैनीताल कहा जाने लगा"। नैनीताल शहर वर्ष 1841 में बसने लगा। इसके पहले यहाँ जंगल था। नैना देवी के मन्दिर में मेला लगता था। सन् 1841 में मिस्टर बैरन ने इसे देखा। उससे पहले कुमाऊँ के दूसरे कमिश्नर मिस्टर ट्रेल ने भी देखा था। बैरन साहब ने "हिम्मला" नामक पुस्तक में लिखा है कि वहाँ के थोकदार नरसिंह, नैनीताल को पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, परन्तु मि0 ट्रेल ने नरसिंह को नाव में बैठाकर ताल में डुबाने की धमकी देकर नोटबुक में दस्तखत करा लिये। बाद में थोकदार नरसिंह पाँच रूपये मासिक वेतन पर नैनीताल के पटवारी बना दिये गये। नैनीताल देश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ बारह महीने पर्यटकों की आवाजाही रहती है।

**अल्मोड़ा :-** जनपद अल्मोड़ा प्राचीन शहरों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। ब्रिटिश



काल में यह जनपद एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला था, जिसके अर्न्तगत वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर जनपद थे। ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा में कुमाऊँ कमिश्नरी का मुख्यालय था। कालान्तर में कुमाऊँ मण्डल की कमिश्नरी, जनपद नैनीताल स्थानान्तरित कर दी गयी। पाँच किमी. लम्बी पहाड़ी पर बसा अल्मोड़ा नगर चन्द राजाओं के शासन के बाद गोरखाओं के आधिपत्य में


रहा, बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया।

अल्मोड़ा अपनी बौद्धिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। प्राकृतिक वातावरण, हिमालय दर्शन के आकर्षण से स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गॉंधी, पंडित नेहरू, लोहिया आदि राष्ट्रीय व्यक्तित्व यहाँ आये थे। पर्वतारोहण, ट्रेकिंग से ग्लेशियरों तक पहुँचने वाले साहसी पर्यटकों के लिए अल्मोड़ा प्रारम्भिक पड़ाव है। ताम्र बर्तनों के पुश्तैनी व्यवसाय में कलश, परात, थाली और वाटर फिल्टर जैसी नवीन दस्तकारी में अल्मोड़ा अपनी पकड़ बनाये हुए है।

**बागेश्वर :-** जनपद बागेश्वर धार्मिक ही नहीं राष्ट्रीय तथा स्वराज आन्दोलन का भी केन्द्र रहा है। सन् 1921 में ब्राह्मण क्लब चामी के बुलावे पर राष्ट्रीय नेता श्री हरगोविन्द पन्त, श्री चिरंजीलाल तथा श्री बद्रीदत्त पाण्डेय बागेश्वर पहुंचे तथा सरयू नदी के तट पर कुली उतार आन्दोलन आरम्भ किया। राष्ट्र भक्त विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा स्वराज मन्दिर की नींव डाली गयी। सन् 1933 में देश भक्त मोहन जोशी के नेतृत्व में जबरदस्त स्वदेशी प्रदर्शनी हुई। बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर तथा गरुड़ में बैजनाथ मन्दिर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देश-विदेश से लाखों की संख्या में लोग इन मन्दिरों के दर्शन तथा इनका ऐतिहासिक महत्व जानने के लिये आते हैं। बैजनाथ के समीप ही तैलीहाट है, जहाँ कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ अभी भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के मन्दिरों का समूह विद्यमान है। बागेश्वर में पावन सरयू, गोमती एवं अदृश्य भागीरथी



नदी के संगम पर बागनाथ मन्दिर है। बताते हैं कि चन्दवंश के राजा लक्ष्मी चन्द द्वारा 1602



ई0 में पुननिर्माण के पश्चात् भगवान बागनाथ का भव्य मन्दिर बनाया गया। इस मन्दिर में सातवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर परिसर में ही अन्य देवी-देवताओं के अलग-अलग मन्दिर हैं। प्रतिवर्ष माह जनवरी में मकर संक्रान्ति को यहाँ भव्य मेला लगता है। जो उत्तरायणी नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन देश-विदेश के हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर भगवान बागनाथ के दर्शन करते हैं तथा एक सप्ताह तक

व्यवसायिक, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं।

**ऊधमसिंहनगर :-** जनपद ऊधमसिंह नगर का सृजन सितम्बर, 1995 को जनपद नैनीताल के तराई सम्भाग को अलग कर किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व




भगवान रुद्र के किसी भक्त या रुद्र नाम के किसी हिन्दू कबीले के मुखिया द्वारा बसाया गया। रुद्रपुर गाँव आज भौतिक विकास की पगडंडियों से चलकर विशाल रुद्रपुर नगर का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। जनपद ऊधमसिंहनगर का मुख्यालय बन जाने से रुद्रपुर का महत्व और बढ़ गया है। काशीपुर का औद्योगिकीकरण बहुत पहले हो चुका है। हाल के उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद

रुद्रपुर तथा सितारगंज के सिडकुल क्षेत्र में औद्योगिकीकरण से जिला ऊधम सिंह नगर औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी जनपद की श्रेणी में आ चुका है।

ब्रिटिश काल में 1861 में नैनीताल जनपद बन जाने के साथ ही 1864-65 में सम्पूर्ण तराई व भावर को "तराई व भावर गवर्नमेन्ट एक्ट" घोषित कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन हो गया। देश के विभाजन के तुरन्त बाद शरणार्थी समस्या विकराल रूप में उपस्थित हुई। बड़ी संख्या में देश के पश्चिमोत्तर व पूर्वी क्षेत्र से आये शरणार्थियों को तराई के मध्य 35 किमी<sup>0</sup> परिक्षेत्र में 164.2 वर्ग मील भू क्षेत्र पर उप निवेश योजना के अर्न्तगत पुर्नवासित किया गया। व्यक्तिगत आवासियों को क्राउन ग्रांट एक्ट के आधार पर भूमि आवंटित की गई। शरणार्थियों का पहला जत्था दिसम्बर 1948 में पहुँचा।

कश्मीर, पंजाब, केरल, पूर्वी उ०प्र०, गढ़वाल, कुमायूँ, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल और तमिलनाडू से लेकर भारत मूल के वर्मा प्रजातियों का समूह तराई में बसा है जो विभिन्न पेशों, धर्मों और जाति समूह के लोगों से मिलकर बना है। तराई का यह कोलोनाइजेशन क्षेत्र है और उसी का हृदय है, रुद्रपुर। इसीलिए 20-25 वर्ष पूर्व तराई को मिनी "हिन्दुस्तान" उपनाम से सम्बोधित किया था। जनपद ऊधमसिंह नगर कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में मण्डल/प्रदेश में अग्रिम पंक्ति पर है।

**पिथौरागढ़ :-** जनपद पिथौरागढ़ हिमालय की गोद में बसा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से



लगा है। जनपद की उत्तरी तथा पूर्वी सीमायें क्रमशः तिब्बत तथा नेपाल से लगती है। उत्तरी सीमा पर गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरिमाल एक अभेद्य दीवार सी खड़ी है, जिसमें पंचाचूली और त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये विख्यात है। पर्वतारोहियों के लिए यह शिखर विशेष

आकर्षक रहे हैं। त्रिशूल शिखर के नीचे स्थित मिलम ग्लैशियर सैलानियों को आकर्षित करता है। सुदूर मध्य हिमालय की दुर्गम बर्फीली चोटियों को अपने मस्तक पर धारण किये हुए है।

**चम्पावत :-** जनपद चम्पावत का सृजन सितम्बर, 1997 को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत तथा जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड खटीमा के 35 राजस्व ग्राम एवं जनगणना ग्राम वनवसा तथा नगर पालिका परिषद टनकपुर को सम्मिलित कर किया गया है।



जनपद चम्पावत पर्वतों एवं घाटियों का क्षेत्र है। यहाँ पर्वत श्रृंखलायें दक्षिण से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है। इन पर्वत मालाओं के मध्य कहीं-कहीं सुन्दर घाटियाँ भी हैं, जिनमें चम्पावत से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है।

जनपद चम्पावत में चम्पावत, खेतीखान, देवीधूरा, मायावती आश्रम, श्यामलाताल, लोहाघाट एवं पंचेश्वर आदि अति सुन्दर एवं आकर्षक हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल में पूर्णागिरी धाम जनपद चम्पावत के भूभाग में स्थित है। जनपद के विकास खण्ड चम्पावत में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल रीठा साहिब स्थित है। माँ बाराही मंदिर देवीधूरा में रक्षा बन्धन के दिन होने वाला बगवाल मेला जिसे देखने लाखों लोग आते हैं, जो जिला चम्पावत में ही स्थित है। जिला चम्पावत प्राकृतिक सौन्दर्य का धनी है।

जनपद में प्रमुख मंदिर बालेश्वर, गुरु गोरखनाथ, गोलू देवता का जन्म स्थान गौरेलचौड़, मानेश्वर, रिखेश्वर आदि हैं जिसमें समय-समय पर मेले आदि लगते हैं। जनपद मुख्यालय के समीप निर्मित एक हथिया नौले के सम्बन्ध में कहा जाता है इस नौलें का निर्माण एक ऐसे कारीगर द्वारा किया गया था जिसके पास एक ही हाथ था इसलिए उसको एक हथिया नौला कहा जाता है।

## अध्याय – 2 खनिज सम्पदा

कुमायूँ मण्डल खनिज सम्पदा का परम्परागत इतिहास रहा है। यहाँ के स्थाई निवासी परम्परागत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह, ताँबा, स्वर्ण सीसा तथा चूना पत्थर, मिट्टी आदि का उत्खनन एवं शुद्धिकरण किया करते थे। औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली शिलाजीत एवं अभ्रक का शुद्धिकरण भी यहाँ प्राचीनकाल से किया जाता रहा है।



इस मण्डल में खनिज के रूप में चूने का पत्थर, खड़िया, डोलामाइट, कायनाईट, यूरेनाईट, पाइराइट व मैग्नासाइड आदि पाया जाता है, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा इसका निर्यात भी होता है। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, रेता, गिट बोल्टर आदि भी व्यावसायिक स्तर

पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कच्चा लोहा, ताँबा तथा जिप्सम आदि भी बहुत थोड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, किन्तु इनका व्यावसायिक रूप से उपयोग अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। जनपद बागेश्वर में झिरोली नामक स्थान पर मैग्नेसाइट का एक कारखाना स्थापित है। झिरोली स्थित मैग्नासाइट खदान से भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर आदि इस्पात संयंत्रों को मैग्नेसाइट की आपूर्ति की जाती है।

खड़िया जो व्यावसायिक क्षेत्र में सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण खनिज है। मण्डल में खड़िया के वृहद भण्डार हैं। खड़िया जखेड़ा, हरपा, बिरखल, सुराग, कर्मी, चौड़ास्थल, लोहारखेत, लीती, चिंडग, तुपेड़, चौरा, रीमा, विजयपुर, काण्डा आदि जगहों पर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। कुमायूँ मण्डल के पर्वतीय भाग में खनिज पदार्थों के उत्खनन तथा उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नया आयाम दिया जा सकता है।



## अध्याय – 3 प्रशासनिक ढाँचा

भौगोलिक दृष्टि से कुमायूँ मण्डल में 6 जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर व चम्पावत सम्मिलित है, जिनमें 48 तहसील, 5 उपतहसील एवं 41 विकास खण्ड है। मण्डल में 3 नगर निगम, 17 नगर पालिका परिषद, 3 छावनी क्षेत्र, 18 नगर पंचायत तथा 9 सेन्सस टाऊन हैं। मण्डल मुख्यालय नैनीताल में है। जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल में कुल 7457 ग्राम है, जिनमें से 278 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम एवं 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6921 आबाद ग्राम हैं। जनगणना 2011 के उपरान्त पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं जनपद चम्पावत के कुछ ग्राम नगर क्षेत्र में स्थानान्तरित होने के कारण 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार मण्डल में कुल ग्रामों की संख्या 7414 है। जिसमें से 280 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम, 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6877 आबाद ग्राम हैं। न्याय पंचायतें 289 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 3478 है। मण्डल में पुलिस स्टेशनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 36 व नगरीय क्षेत्र में 33 तथा 01 जी०आर०पी० है।

### मण्डल की मुख्य प्रशासनिक इकाईयाँ

क्र० सं०	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
1.	अल्मोड़ा	1. अल्मोड़ा	1. भैसियाछाना 2. लमगड़ा (आंशिक) 3. धौलादेवी (आंशिक) 4. हवालबाग (आंशिक) 5. ताकुला (आंशिक)
		2. भनोली	1. धौलादेवी (आंशिक) 2. लमगड़ा (आंशिक)
		3. सोमेश्वर	1. ताकुला (आंशिक) 2. हवालबाग (आंशिक)
		4. भिक्यासैण	1. भिक्यासैण (आंशिक) 2. सल्ट (आंशिक)
		5. रानीखेत	1. ताड़ीखेत 2. द्वाराहाट (आंशिक)
		6. चौखुटिया	1. चौखुटिया
		7. द्वाराहाट	1. द्वाराहाट (आंशिक) 2. भिक्यासैण (आंशिक)
		8. सल्ट	1. सल्ट (आंशिक)
		9. जैती	1. लमगड़ा (आंशिक)
		10. स्याल्दे	1. स्याल्दे

क्र० सं०	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
2.	बागेश्वर	1. कपकोट	1. कपकोट (आंशिक)
		2. गरुड़	1. गरुड़-बैजनाथ
		3. बागेश्वर	1. बागेश्वर (आंशिक)
		4. काण्डा	1.बागेश्वर (आंशिक) 2.कपकोट (आंशिक)
		5.दुग नाकुरी	1.बागेश्वर (आंशिक) 2.कपकोट (आंशिक)
		6. काफलीगैर	1. बागेश्वर
3.	नैनीताल	1. नैनीताल	1. भीमताल 2. रामगढ़(आंशिक) 3. कोटाबाग(आंशिक)
		2. कालादूँगी	1.कोटाबाग(आंशिक)
		3. कोश्याकुटोली	1. रामगढ़(आंशिक) 2. बेतालघाट(आंशिक)
		4. धारी	1. धारी 2. ओखलकांडा
		5. बेतालघाट	1. बेतालघाट(आंशिक)
		6. हल्द्वानी	1. हल्द्वानी(आंशिक)
		7. लालकुआँ	1. हल्द्वानी(आंशिक)
		8. रामनगर	1. रामनगर
4.	ऊधमसिंहनगर	1. काशीपुर	1. काशीपुर
		2. जसपुर	1. जसपुर
		3. बाजपुर	1. बाजपुर
		4. किच्छा	1. रुद्रपुर
		5. गदरपुर	1. गदरपुर
		6. खटीमा	1. खटीमा
		7. सितारगंज	1. सितारगंज
5.	पिथौरागढ़	1. डीडीहाट	1. कनालीछीना 2. डीडीहाट (आंशिक)
		2. बेरीनाग	1. बेरीनाग 2. डीडीहाट (आंशिक)
		3. धारचूला	1. धारचूला (आंशिक)
		4. पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़ (विण) 2. मूनाकोट
		5. गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट (आंशिक)
		6. मुनस्यारी	1. मुनस्यारी (आंशिक)
		7. बंगा पानी	1. धारचूला (आंशिक) 2 मुनस्यारी (आंशिक)
		8. थल	1. बेरीनाग (आंशिक) 2. डीडीहाट (आंशिक)
		9. कनालीछीना	1. कनालीछीना (आंशिक) 2. डीडीहाट (आंशिक)
		10. गणाई गंगोली	1. गंगोलीहाट (आंशिक)
		11. देवथल	1. कनालीछीना (आंशिक)
6.	चम्पावत	1. चम्पावत	1. चम्पावत(आंशिक)
		2. श्री पूर्णागिरी	1. चम्पावत(आंशिक)
		3. लोहाघाट	1. लोहाघाट
		4. पाटी	1. पाटी
		5. बाराकोट	1. बाराकोट

## अध्याय – 4

### जनसंख्या वितरण


जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 10086292 में से कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या 4228998 है। कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 41.93 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल के जनपदों की जनसंख्या निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	जनपद का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी०)	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्री	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी०	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)	साक्षरता प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पिथौरागढ़	7090	483439	239306	244133	68	1020	82.25
2	बागेश्वर	2246	259898	124326	135572	116	1090	80.01
3	अल्मोड़ा	3139	622506	291081	331425	198	1139	80.47
4	चम्पावत	1766	259648	131125	128523	147	980	79.83
5	नैनीताल	4251	954605	493666	460939	225	934	83.88
6	ऊधमसिंहनगर	2542	1648902	858783	790119	649	920	73.10
<b>योग मण्डल</b>		<b>21034</b>	<b>4228998</b>	<b>2138287</b>	<b>2090711</b>	<b>201</b>	<b>978</b>	<b>78.52</b>

कुमायूँ मण्डल में क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ तथा जनसंख्या की दृष्टि से ऊधमसिंहनगर सबसे बड़ा जनपद है। मण्डल में सबसे कम क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला जनपद चम्पावत है। ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है, जबकि जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है, मण्डल के जनपदों में जनपद ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तथा जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मण्डल का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है तथा उत्तराखण्ड की जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायूँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। जनपद पिथौरागढ़ में 82.25%,



अल्मोड़ा में 80.47%, नैनीताल में 83.88%, बागेश्वर में 80.01%, चम्पावत में 79.83% तथा उधमसिंह नगर में 73.10% व्यक्ति साक्षर हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में 1000 हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 978 है, जबकि उत्तराखण्ड में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या

963 है। कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020, अल्मोड़ा में 1139, बागेश्वर में 1090, चम्पावत में 980, नैनीताल में 934 तथा उधमसिंह नगर में 920 है। पर्वतीय भू-भाग में निवास कर रहे अधिकांश पुरुष सेना में सेवारत रहने के कारण बाहर है तथा इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के साधनों की कमी के कारण रोजगार की तलाश में पर्वतीय क्षेत्र में निवास कर रहे पुरुष मैदानी भागों में रोजगार के लिये बाहर रहते हैं, जिस कारण पूर्णतः पर्वतीय जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि मैदानी भाग में कम है।

कुमाऊँ मण्डल में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण जनगणना 2011 के अनुसार मुख्य कर्मकरों में कृषक 40.60%, कृषि श्रमिक 11.19%, पारिवारिक उद्योग 2.59% तथा अन्य कर्मकर 45.62%, पाये गये। इस प्रकार मुख्य कर्मकर 1234528 व सीमान्त कर्मकर 471016 को सम्मिलित करते हुए, कुल कर्मकरों की संख्या 1705544 है।



## अध्याय – 5

### कृषि

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में कुल कर्मकरों में से 44 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आश्रित है। यह अनुपात जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत के लिये क्रमशः 69.62, 68.85, 36.56, 20.74, 63.44 तथा 60.25 प्रतिशत है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मण्डल में अर्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग कृषि है परन्तु जिला ऊधमसिंह नगर में सम्पूर्ण भाग तथा जिला नैनीताल के मैदानी भाग को छोड़कर पर्वतीय भाग में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है।



खेत छोटे-छोटे तथा छिटके हैं, जिस कारण कृषि से बहुत कम आय अर्जित होती है। अतः कृषि विधिकरण योजना के अन्तर्गत कृषकों को व्यवसायिक फसलों/गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सहायतित त्वरित सिंचाई लाभ योजना से असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला योजना में पौध सुरक्षा कार्यक्रम, कृषि यंत्रों की योजना तथा उन्नत कृषि तकनीक हस्तान्तरण की योजनाओं से कृषि को लाभकारी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सहायतित योजना माईक्रोमोड योजना में धान्य विकास, दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कृषि यंत्रों का वितरण की योजना संचालित हैं।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2015-16 में उर्वरक का उपभोग (मै0टन में) निम्नानुसार रहा :-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाश	योग
1	पिथौरागढ़	262.99	165.13	67.68	<b>495.80</b>
2	अल्मोड़ा	237.12	59.46	14.07	<b>310.65</b>
3	नैनीताल	7547.60	1561.00	610.40	<b>9719.00</b>
4	ऊधमसिंह नगर	28361.77	7822.47	2698.05	<b>38882.29</b>
5	बागेश्वर	252.00	79.00	21.00	<b>352.00</b>
6	चम्पावत	334.01	85.83	23.99	<b>443.826</b>
योग मण्डल		<b>36995.49</b>	<b>9772.89</b>	<b>3435.19</b>	<b>50203.57</b>

कुमायूँ मण्डल में सकल बोये गये क्षेत्रफल वर्ष 2014-15, 582041 हैक्टेयर के आधार पर में उर्वरक का उपयोग प्रति है0 0.08 मै0टन है। सर्वाधिक प्रति है0 0.15 मै0टन उर्वरक का उपयोग जिला ऊधम सिंह नगर में तथा सबसे कम प्रति है0 0.0016 मै0टन उर्वरक का उपयोग जिला अल्मोड़ा में हैं। जनपद ऊधमसिंह नगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी होने के कारण अधिकांश भाग में कृषि होती है। अतः ऊधमसिंह नगर में उर्वरक का उपभोग सर्वाधिक है। पर्वतीय सम्भाग में अधिकांश भूमि असिंचित होने के कारण उर्वरक का उपयोग कम है।

### कृषि जोतों का आकार :-

कृषि गणना 2010-11 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में भूमि जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल हैक्टेयर में निम्न प्रकार है :-

मण्डल/जनपद	0.5 है0 से कम		0.5 से 1.0 है0		1.0 से 2.0 है0	
	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)
1	2	3	4	5	6	7
पिथौरागढ़	45971	12706.66	24603	16976.05	7881	10669.42
अल्मोड़ा	43532	12887.57	38511	27853.65	22451	30576.95
नैनीताल	21987	6670.77	12247	9804.73	9637	14450.52
ऊधमसिंहनगर	44014	9628.00	20523	14355.96	20213	27664.95
बागेश्वर	34858	8507.46	13998	9426.99	4479	5742.04
चम्पावत	15848	5122.47	11542	8566.41	6517	9381.81
योग मण्डल	<b>206210</b>	<b>55522.93</b>	<b>121424</b>	<b>86983.79</b>	<b>71178</b>	<b>98485.69</b>

मण्डल/ जनपद	2.0 है० से 4.0 कम		4.0 से 10.0 है०		10.0 तथा उससे अधिक		कुल जोतों की संख्या	
	संख्या	क्षे०(है०)	संख्या	क्षे०(है०)	संख्या	क्षे०(है०)	संख्या	क्षे०(है०)
	8	9	10	11	12	13	14	15
पिथौरागढ़	1335	3369.67	55	277.48	1	18.25	79846	44017.53
अल्मोड़ा	4570	11578.28	201	1000.16	3	48.31	109268	83944.92
नैनीताल	5069	13774.98	1556	8709.17	167	2484.22	50663	55894.39
ऊधमसिंहनगर	14804	40490.99	6793	37804.70	512	15899.19	106859	145843.79
बागेश्वर	503	1269.69	30	144.27	1	12.44	53869	25102.89
चम्पावत	2113	5803.24	244	1226.13	10	165.89	36274	30265.95
<b>योग मण्डल</b>	<b>28394</b>	<b>76286.85</b>	<b>8879</b>	<b>49161.91</b>	<b>694</b>	<b>18628.30</b>	<b>436779</b>	<b>385069.47</b>

जहाँ तक जोतों के आकार का प्रश्न है, पर्वतीय भू-भाग में एक ओर तो जोतें छोटी हैं दूसरी ओर जोत के अन्तर्गत आने वाले खेत भी छोटे-छोटे व ढालदार हैं।

कृषि गणना वर्ष 2010-11 के अनुसार मण्डल की लगभग 75.01 प्रतिशत जोतों का आकार एक है० से कम है। लगभग 16.30 प्रतिशत जोतों का आकार एक से दो है० के बीच, 8.53 प्रतिशत जोतों का आकार दो है० से दस है० के बीच तथा 0.16 प्रतिशत जोतों का आकार दस है० से ऊपर है। मण्डल की भाँति जनपदों में भी जोतों के वितरण की लगभग यही स्थिति है।

उक्त के अलावा एक है० तक की जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल मात्र 37.01 प्रतिशत क्षेत्र हैं जबकि 25.57 प्रतिशत क्षेत्र एक से दो है० क्षेत्रफल वाली जोतों के बीच है, 32.58 प्रतिशत क्षेत्र दो से दस है० तक की जोतों, एवं शेष 4.84 प्रतिशत दस है० से अधिक जोतों के अन्तर्गत हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रदेश के सबसे बड़े निजी कृषि फार्म (प्राग फार्म) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के फार्म (कृषि विश्व विद्यालय, सितारगंज जेल, हेमपुर का आर्मी फार्म) स्थित हैं।

## भूमि उपयोगिता

भूमि उपयोगिता वर्ष 2014–15 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में से सकल बोया गया क्षेत्रफल 24.85 प्रतिशत है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मण्डल का 60.23 प्रतिशत वन क्षेत्र है। मण्डल के भीतर कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में से सकल बोये गये क्षेत्र का अनुपात सबसे कम 9.54 प्रतिशत जनपद पिथौरागढ़ में है, अधिकतम जनपद ऊधमसिंहनगर में 90.74 प्रतिशत तथा अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल तथा बागेश्वर में क्रमशः 25.21%, 11.36%, 17.55% तथा 19.12% है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण हेतु कम से कम 66% क्षेत्रफल वनाच्छादित होना चाहिये अतः वनों के सघनीकरण तथा विस्तार की नितान्त आवश्यकता है।

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत में ऊधमसिंह नगर 97.69 प्रतिशत, नैनीताल 60.90 प्रतिशत तथा बागेश्वर में 20.26 प्रतिशत है। शेष जनपदों में सिंचित क्षेत्रफल पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति के कारण बहुत कम है जिसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

## कृषि ऋण योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में बैंको द्वारा कुल वर्ष 2015–16 में 90998 कृषकों को रू0 86060.40 लाख धनराशि वितरित की गयी। जनपद अल्मोड़ा में 3860 कृषकों को रू0 908 लाख, जनपद बागेश्वर में 5943 कृषकों को रू0 2565.55 लाख, जनपद पिथौरागढ़ में 4519 कृषकों को रू0 5844 लाख, जनपद चम्पावत में 3267 कृषकों को रू0 1612.99 लाख, जनपद नैनीताल में 30745 कृषकों को रू0 26551 लाख, जनपद ऊधमसिंह नगर में 42664 कृषकों को रू0 48578.86 लाख का कृषि ऋण वितरित किया गया।



## अध्याय – 6

### उद्यान

कुमाऊँ मण्डल का अधिकाँश भाग पर्वतीय है। कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण मण्डल उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिकीकरण की मुख्य समस्या समीपस्थ क्रय केन्द्रों का न होना है जिससे उद्योगपतियों को अपना उत्पादन बिक्री हेतु काफी दूर ले जाना पड़ता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार मण्डल की जलवायु फल, सब्जी, आलू एवं मसाला फसलों के उत्पादन हेतु उपर्युक्त है। मण्डल में औद्यानिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उद्यान सचल दल केन्द्र तथा राजकीय पौधशाला स्थापित किये गये हैं। मण्डल में वर्ष 2015–16 में 222537 मैट्रिक टन आलू का उत्पादन किया गया है।

फलों के उत्पादन में मुख्य रूप से आम, लीची, सेब, नाशपाती, आड़ू, पुलम, अखरोट, माल्टा, सन्तरा, कागजी नीबू आदि तथा सब्जी के उत्पादन में मुख्य रूप से मटर, मूली, बन्दगोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, भिंडी, प्याज, टमाटर, बैंगन आदि का उत्पादन किया जाता है। बेमौसमी सब्जी उत्पादन में कृषकों का रुझान बढ़ रहा है।



मण्डल के अर्न्तगत वर्ष 2015–2016 में जनपदवार कुल उद्यानों की संख्या, उद्यान रक्षा सचल दल केन्द्रों की संख्या, फल संरक्षण केन्द्रों की संख्या तथा कुल नर्सरियों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल उद्यानों की संख्या (राजकीय)	कुल नर्सरियों की संख्या	उद्यान रक्षासचल दल केन्द्रों की सं०	फल संरक्षण केन्द्रों की संख्या
1	पिथौरागढ़	15	8	24	3
2	अल्मोड़ा	2	8	34	6
3	नैनीताल	8	8	29	5
4	ऊधमसिंहनगर	4	4	14	3
5	बागेश्वर	0	2	10	1
6	चम्पावत	6	6	12	3
योग मण्डल		35	36	123	21

मण्डल के अर्न्तगत वर्ष 2015-16 में जनपदवार फल, सब्जी तथा आलू का क्षेत्रफल, उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार रहा है :-

उत्पादन- मै0 टन , क्षेत्रफल -है0

क्र. सं.	जनपद	फल		सब्जी		आलू	
		क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1	पिथौरागढ़	33388.00	5346.00	56965.00	1792.00	38225.00	33388.00
2	अल्मोड़ा	175647.00	4436.00	43511.00	2444.00	53813.00	175647.00
3	नैनीताल	112589.00	8904.00	85038.00	2576.00	56717.00	112589.00
4	ऊधमसिंह नगर	51824.00	7311.00	88338.00	2744.00	56499.00	51824.00
5	बागेश्वर	12632.54	1576.15	8227.25	3490.00	5613.00	12632.54
6	चम्पावत	13471.00	3095.00	13471.00	1100.00	11670.00	13471.00
योग मण्डल		<b>399551.54</b>	<b>30668.15</b>	<b>295550.25</b>	<b>14146.00</b>	<b>222537.00</b>	<b>399551.54</b>

**हार्टीकलचर टैक्नोलोजी मिशन** – औधानिक विकास की समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2004-05 से औधानिक विकास को द्रुतगति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा हार्टीकलचर टैक्नोलौजी मिशन योजना आरम्भ की गयी। यह एक केन्द्र पोषित योजना है। इसके अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण देकर औद्यानीकरण के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना में पुष्प उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उद्यान विभाग द्वारा जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट में इण्डोडच मशरूम परियोजना में मशरूम उत्पादन तथा मशरूम हेतु कम्पोस्ट निर्माण का कार्य किया जाता है। साथ ही बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 काश्तकारों को मानक के अनुसार कम्पोस्ट आदि ढुलान पर राज सहायता उपलब्ध करायी जाती है। राजकीय उद्यान चौबटिया, अल्मोड़ा में माली प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे स्वतः रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलता है।

## अध्याय – 7

### वन

कुमायूँ मण्डल में अधिकांश क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं। भूमि उपयोग के आंकड़े वर्ष 2014-15 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 63.41 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत हैं। कुमायूँ मण्डल में 60.23 प्रतिशत क्षेत्र तथा गढ़वाल मण्डल में 65.45 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में से सर्वाधिक 73.10 प्रतिशत जिला नैनीताल तथा सबसे कम 33.30 प्रतिशत जिला ऊधमसिंह नगर वन क्षेत्र के अन्तर्गत है। पिथौराढ़ में 72.33 प्रतिशत, बागेश्वर में 52.99 प्रतिशत, अल्मोड़ा में 50.80 प्रतिशत तथा चम्पावत में 56.74 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत हैं। पर्वतीय क्षेत्र के संरक्षण हेतु कम से कम 66 प्रतिशत क्षेत्रफल में वनों का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से वनों के सघनीकरण एवं विस्तार की नितान्त आवश्यकता है।

**वन उत्पादन :-** पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस्म के वृक्ष पाये जाते हैं, जिसमें चीड़, बाज, देवदार, तुन, बुरुश, काफल, अयारपांगर आदि प्रमुख हैं। भाबर क्षेत्र में साल, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस, पापुलर, सेमल, गुटेर एवं बाकुली की प्रजातियों के वृक्ष प्रमुख हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा निकाल कर इसका निर्यात व्यापक रूप से होता है। लीसा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जिससे तारपीन का तेल व विरोजा तैयार किया जाता है इसके अतिरिक्त चीड़ की लकड़ी गृह निर्माण, फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। बांज की पत्तियां पशुचारा के रूप में प्रयुक्त होती है तथा लकड़ी से कोयला बनाया जाता है। बांज का वृक्ष जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर की लकड़ी कत्था उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साल, शीशम एवं सागौन, चीड़, देवदार इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले वृक्षों का अधिकांश भाग मण्डल से बाहर भेजा जाता है जिसके कारण वन आधारित उद्यम इस क्षेत्र में विकसित नहीं हुए हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विकास आर्थिक उन्नति हेतु आवश्यक है। वनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियाँ भी पाई जाती हैं। जिसमें तेज पत्ता, कपूर कवली, समीघा, पाषण भेद, वन हल्दी, गुणवन्ता,

कुटकी, बण्डा, सालमसंजा, सालम मिश्री एवं गंधारामण आदि प्रमुख है। ये अधिकांश मात्रा में मण्डल से बाहर निर्यात की जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में जड़ी बूटी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग जड़ी बूटी के रोपण का कार्य बृहत रूप से कर रहा है।



घने जंगलों में पशु पाये जाते हैं जिसमें बाघ, भालू, घुरड़, काकड़, हिरन प्रमुख हैं। पहले इन जंगलों में शेर तथा हाथी भी काफी संख्या में पाये जाते थे किन्तु धीरे-धीरे जंगलों के कटने व इनके निकट बस्तियाँ हो जाने तथा जंगलों के बीच लोगों का आवागमन हो जाने से अब जंगली पशुओं की संख्या

निरन्तर घटती जा रही है। वन विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा के लिये कई प्रबन्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। जिसमें कार्बेट नेशनल पार्क ढिकाला (रामनगर) एक प्रमुख सुरक्षित क्षेत्र है जो देश-विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र है। जनपद अल्मोड़ा में बिनसर अभ्यारण्य तथा पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। नैनीताल तथा अल्मोड़ा में चिड़ियाघर भी स्थापित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

**वन राजस्व** – वन क्षेत्र में सूखे, गिरे पेड़ों के प्रकाष्ठ, लीसा विदोहन, जड़ी बूटी से प्राप्त राजस्व, अवैध वाहनो के प्रवेश, अवैध कटान एवं चुगान आदि पर जुर्माना वन विभाग की आय का प्रमुख श्रोत है।

**हक हकूक** – पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों को वन प्रभाग द्वारा ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार उनका हक हकूक दिया जाता है।

**प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निस्तारण में लागू नये नियम/अधिनियम** – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओ/उपधाराओं के प्राविधानो के अनुसार वनो का रखरखाव किया



जाता है। बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते हुए जैवीक दबाव के फलस्वरूप घटते हुए वन तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु वनों पर निर्भरता पर्यावरण संरक्षण में प्रतिकूल परिस्थितिया है। इस क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधित अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

**उत्तराखण्ड वन नियमावली 2001** – उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग 3155/1-व0ग्रा0वि 2001-बी(15) 2001 देहरादून दिनांक जुलाई, 3. 2001 ,द्वारा लागू है। जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के अधीन पंचायत वन नियमावली 1976 का अतिक्रमण कर नई नियमावली लागू की गई है। पंचायती वनों का रखरखाव व नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों व सरपंचों को दी गई है, जो जिला वन पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग से पंचायती वनों का विकास एवं संवर्द्धन करेंगे।

**भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001** – उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 240 विभागीय एवं संसदीय कार्य 2002 देहरादून 1 अगस्त 2002 के विविध अधिसूचना अन्तर्गत भारत संविधान के अनुच्छेद 2000 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2001 को दिनांक 17.07.2002 को अनुमति प्रदान की।

इसके अन्तर्गत अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2002 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं 26, 33, 42, 52, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 77, 79, 82 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी को अवैध कार्यों में लिप्त वाहनों के अधिग्रहण सम्बन्धी एवं अतिक्रमित भूमि में बेदखली सम्बन्धी कार्य हेतु मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

## अध्याय – 8

### पशुपालन

पशुपालन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड का विशिष्ट स्थान है, भौगोलिक स्थिति के अनुरूप यहां भेड़, बकरी, गौ पालन व कृषि आय के मुख्य साधन रहे हैं। पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार कुमायूँ मण्डल में 2241229 पशु हैं। कुल पशुधन में 905719 गौवंशीय, 460902 महिषवंशीय, 32 याक, 661114 बकरे-बकरियां, 70929 भेड़ें, 4316 सुअर, 15949 घोड़े, गधे, टट्टू तथा 122268 अन्य पशु हैं। कुक्कुटों की संख्या 3909847 है।

कुमायूँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तराखण्ड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 39.32 प्रतिशत है। कुमायूँ मण्डल की जनसंख्या इसकी जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या का 41.99 प्रतिशत है। पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार मण्डल के भीतर सबसे कम पशुधन 7.88 प्रतिशत जनपद चम्पावत में तथा सबसे अधिक 23.89 प्रतिशत जनपद पिथौरागढ़ में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि के बाद पशुपालन पर ही आधारित होती है। पशुपालन द्वारा ही ग्रामवासियों के आर्थिक सुधार के साथ स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।



पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार कुमायूँ मण्डल में जनपद वार कुल पशुओं के सापेक्ष गोवंशीय पशुओं का प्रतिशत जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊ०सिंहनगर, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में क्रमशः 40.23, 38.46, 51.44, 39.39, 39.93 व 54.81 प्रतिशत है तथा महिषवंशीय पशुओं का प्रतिशत क्रमशः 19.71, 13.42, 26.42, 46.87, 10.08 व 13.85 प्रतिशत है। इस प्रकार गोवंशीय पशुओं का प्रतिशत जनपद चम्पावत में अपेक्षाकृत अधिक तथा बागेश्वर में बहुत कम है। कुमायूँ मण्डल में क्रासब्रीड गोजातीय पशुओं का प्रतिशत गतवर्षों के तुलना में बढ़ रहा है।

भेड़ों की संख्या मण्डल में सर्वाधिक पिथौरागढ़ में है जो मण्डल की कुल भेड़ों का 66.74 प्रतिशत है। मण्डल में सबसे कम भेड़ों की संख्या जनपद चम्पावत में है जो लगभग 0.011 प्रतिशत है। बकरे, बकरियों की संख्या मण्डल के जनपद पिथौरागढ़ में सर्वाधिक है जो

मण्डल की कुल संख्या का लगभग 30.44 प्रतिशत है तथा जनपद ऊधमसिंह नगर में सबसे कम 6.50 प्रतिशत है। मण्डल में सुअरों की संख्या 4.316 हजार है। मण्डल में सर्वाधिक सुअरों की संख्या जनपद ऊधमसिंहनगर में है। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ में भेड़ों के ऊन से थुलमे, पंखी, स्वेटर, कालीन आदि बनाने के लघु उद्योग चल रहे हैं।

मण्डल में कुक्कुटों की संख्या सर्वाधिक जनपद ऊधमसिंहनगर में है जो मण्डल की कुल कुक्कुट संख्या का 78.34 प्रतिशत है तथा जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ व चम्पावत में यह संख्या मण्डल के अनुपात में क्रमशः 2.71, 0.66, 15.20, 1.04, व 2.04 प्रतिशत है। जनपद ऊधमसिंहनगर में नगरीय क्षेत्र अधिक होने के कारण कुक्कुट पालन का प्रचलन अधिक है मण्डल में बढ़ती हुई अण्डों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कुक्कुट पालन को सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाये जाने हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

पर्वतीय क्षेत्र में पशुधन की दयनीय स्थिति है। औसत दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। पर्वतीय भाग में देशी नस्ल के जानवर ही उपलब्ध हैं। अतः पर्वतीय क्षेत्र में चारा विकास कार्यक्रम संचालित कर अच्छे नस्ल के पशुओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कुमायूँ मण्डल में 139 पशु चिकित्सालय, 6 सचल दल चिकित्सालय, 389 पशुधन विकास केन्द्र, 356 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र हैं। जनपदवार वर्ष 2015-16 तक उपलब्ध सुविधायें निम्नानुसार हैं :-

क्र० सं०	संस्थाओं के नाम	जनपद						योग मण्डल
		अल्मोड़ा	बागेश्वर	नैनीताल	ऊ०नगर	पिथौ०	चम्पावत	
1	पशु चिकित्सालय	37	11	28	22	28	13	139
2	पशुधन विकास केन्द्र	100	33	98	73	62	23	389
3	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र / उपकेन्द्र	72	22	98	95	41	28	356
4	सचल पशु चिकित्सालय	1	1	1	1	1	1	6

प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा कई योजनायें चलायी जा रही हैं, जिनमें से पशुरोग नियंत्रण हेतु वैक्सीन क्रय, पशुओं में सामुहिक रूप से दवापान की योजना, चारा विकास कार्यक्रम का सघनिकरण तथा सचल पशु चिकित्सा आदि प्रमुख हैं।

## अध्याय – 9

### सहकारिता


वर्तमान में सहकारिता विभाग में त्रिस्तरीय ढाँचा कार्यरत है, जिसके अन्तर्गत शीर्ष स्तर पर शीर्ष संस्थायें उत्तराखण्ड सहकारी बैंक एवं उत्तराखण्ड विपणन संघ कार्यरत हैं। जनपद स्तर पर जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी संघ एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार आदि केन्द्रीय संस्थायें हैं। इनके अतिरिक्त प्रारम्भिक स्तर पर प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति, प्रारम्भिक उपभोक्ता समितियाँ, महिला उपभोक्ता समिति, वेतनभोगी सहकारी समिति, श्रम समिति आदि प्रकार की समितियाँ कार्यरत हैं। सहकारी विभाग में निम्न मुख्य योजनायें कार्यरत हैं।

**ऋण एवं अधिकोषण योजना :-** उक्त योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से फसली एवं मध्यकालीन ऋण वितरित किये जाते हैं। समितियों में मिनी बैंक भी कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से समितियों को अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। सहकारी बैंक के माध्यम से समस्त प्रकार की समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय, उर्वरक व्यवसाय एवं अन्य प्रकार के व्यवसायों के लिये ऋण सीमायें उपलब्ध कराई जाती हैं। सहकारी बैंक उपभोक्ता उपभोग ऋण एवं अन्य व्यवसायिक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। मण्डल में जिला सहकारी बैंक की 124 शाखायें कार्यरत हैं।

**उपभोक्ता योजना :-** उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, जिला सहकारी संघ की शाखायें कार्यरत हैं। जिला सहकारी संघ के माध्यम से जनपद की प्रारम्भिक समितियों में उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है।

**जड़ी-बूटी एवं भेषज योजना :-**

पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जड़ी-बूटी भेषज योजना कृषकों के लिए एक लाभदायक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर



भेषज संघ के माध्यम से जड़ी-बूटी का विदोहन एवं उसका क्रय-विक्रय किया जाता है।



## अध्याय – 10

### सिंचाई

मण्डल के पर्वतीय जनपदों में कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है जिस कारण उन्नतशील बीजों एवं उर्वरक रसायनिकों का प्रयोग कम हो पाता है। शासन द्वारा चलाये जा रहे राजकीय सिंचाई एवं निजी लघु सिंचाई के माध्यम से नहरें, गूल, हौज एवं हाईड्रम का निर्माण कर सिंचन क्षमता में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। जनपद ऊधमसिंहनगर एवं जनपद नैनीताल के भाबर व तराई क्षेत्र में सिंचाई के अधिक साधन उपलब्ध हैं। जहाँ नहर, गूल, हौज के अतिरिक्त भूस्तरीय पम्प सैटों से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है।



मण्डल के अन्तर्गत राजकीय नहरों की लम्बाई 3435.75 किमी<sup>0</sup>, लघुडाल नहरों की लम्बाई 157.63 किमी<sup>0</sup>, राजकीय नलकूपों की संख्या 715 एवं बोरिंग पर लगे भूस्तरीय पम्प सैटों/निशुल्क बोरिंग की संख्या 27292, हौजों की संख्या 16019, हाईड्रमों की संख्या 736 तथा कुल गूलों की लम्बाई 14559.33 किमी<sup>0</sup> है। मण्डल में उक्त साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 177399 है<sup>0</sup> तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 317630 है<sup>0</sup>।

लघु सिंचाई द्वारा जिला योजना अन्तर्गत गूल, हौज एवं हाईड्रम योजनाओं का निर्माण किया जाता है। हाईड्रम योजना को पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल वाले जल श्रोतों से पानी लिफ्ट करके उसमें आसानी से ऊपरी भूमि पर सिंचाई सुविधा सृजित की जा सकती है। कुमायूँ मण्डल में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में से 23.45 प्रतिशत क्षेत्र नहरों द्वारा 50.10 प्रतिशत क्षेत्रफल नलकूपों द्वारा तथा 26.45 प्रतिशत क्षेत्र अन्य साधनों द्वारा सिंचित है।

मण्डल में कृषि सांख्यिकीय वर्ष 2014-2015 के अनुसार जनपदवार विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का विवरण निम्न प्रकार है :-

हेक्टे0

क्र0 सं0	स्रोत	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
1.	नहरें	1496	21779	166	14270	3683	204	<b>41598</b>
2.	नलकूप	0	3651	0	83884	0	1343	<b>88878</b>
3.	कुएं	0	1100	0	37482	0	0	<b>38582</b>
4.	तालाब / पोखर / झील	0	0	0	29	0	0	<b>29</b>
5.	अन्य	3446	19	3472	344	926	105	<b>8312</b>

**बीस सूत्रीय कार्यक्रम** – लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में कुमाऊँ मण्डल हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3510 है0 के सापेक्ष 3688.17 है0 सिंचन क्षमता अर्जित की। वर्ष 2015-16 में कुमाऊँ मण्डल के सभी जनपदों द्वारा शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्यो को पूर्ण करते हुए "ए" श्रेणी प्राप्त की।

राजकीय सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में कुमाऊँ मण्डल हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 7742 है0 के सापेक्ष 7757 है0 सिंचन क्षमता अर्जित की। वर्ष 2015-16 में कुमाऊँ मण्डल के सभी जनपदों द्वारा शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्यो को पूर्ण करते हुए "ए" श्रेणी प्राप्त की।

## अध्याय-11

### दुग्ध विकास

#### ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण :-

योजनान्तर्गत मदवार मानकों का विवरण निम्नवत् हैं -

#### (1.) नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायता :-

क्र. सं.	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	धनराशि (रु० में)
1.	दुग्ध जांच संयंत्र एवं रसायन आदि	3,000	1000	500	4,500
2.	फर्नीचर एवं कन्टीजैसी	5,000	—	—	5,000
3.	दुग्ध कैन	7,000	—	—	7,000
4.	प्रबन्धकीय अनुदान	7,200	6000	4800	18,000
5.	प्राथमिक पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवाएं	2,000	—	—	2,000
6.	कार्यशील पूंजी	5,000	5000	—	10,000
7.	सचिव प्रशिक्षण	7,500	—	—	7,500
<b>कुल योग:-</b>		<b>36,700</b>	<b>12,000</b>	<b>5,300</b>	<b>54,000</b>

#### (2.) तकनीकी निवेश कार्यक्रम:-

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| (2.1) पशु औषधि-   | रु० 100 प्रति पशु।        |
| (2.2) डिवार्मिंग-   | रु० 40 प्रति।             |
| (2.3) टीकाकरण:  | रु० 20 प्रति।             |
| (2.4) फीड सप्लीमेन्ट (यूरिया मौलेसिस लिंक ब्लाक)-   | रु० 45 प्रति तीन कि०ग्रा० |
| (2.5) मिनरल मिक्सचर-  | रु० 30 प्रति कि०ग्रा०     |
| <b>(2.6) आपातकालीन पशुचिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाई-</b>                                   |                           |
| <b>(i) पशु चिकित्सक हेतु-</b>   |                           |
| (क.) मानदेय (समस्त भत्तों सहित) रु० 22 हजार प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु-                | रु० 2.64 लाख।             |
| (ख.) इन्सेन्टिव रु० 50 प्रति केस, 80 केस प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु-                   | रु० 0.48 लाख।             |
| <b>(ii) वाहन-</b>   |                           |
| (क.) पशुचिकित्सक हेतु 100 किमी०/दिन/20दिन/12माह / रु० 8/किमी०-                            | रु० 1.92 लाख।             |
| (ख.) जनपदीय सहायक निदेशक के फील्ड पर्यवेक्षण हेतु 100 किमी०/दिन/10दिन/12माह /रु० 8/किमी०- | रु० 0.96 लाख।             |

#### योग:- प्रति इकाई-

**रु० 6.00 लाख।**

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| (2.7) विविध व्यय:-                    | रु० 30,000 / प्रतिवर्ष। |
| <b>(2.8) संतुलित पशु आहार अनुदान-</b> |                         |
| (क) मैदानी क्षेत्र                    | रु० 2.00 प्रति किग्रा०  |
| (ख) पर्वतीय क्षेत्र                   | रु० 4.00 प्रति किग्रा०  |
| <b>(2.9) कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक-</b>     |                         |
| (क) मैदानी क्षेत्र                    | रु० 1.00 प्रति किग्रा०  |
| (ख) पर्वतीय क्षेत्र                   | रु० 3.00 प्रति किग्रा०  |

(2.10) हैडलोड अनुदान-

- (1) मैदानी क्षेत्र 25 पैसा / लीटर / कि०मी०  
(2) पर्वतीय क्षेत्र 50 पैसा / लीटर / कि०मी०

(3.) दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास-

(3.1) दुग्ध कक्ष निर्माण-

- (1) मैदानी क्षेत्र रू० 4.65 लाख ।  
(2) पर्वतीय क्षेत्र रू० 5.15 लाख ।

(3.2) भूसा गोदाम निर्माण-

- (1) मैदानी क्षेत्र रू० 5.15 लाख ।  
(2) पर्वतीय क्षेत्र रू० 5.65 लाख ।

(3.3) डी०पी०एम०यू० सहित मिल्क एनालॉइजर की स्थापना- रू० 65,000 / प्रति नग ।

(3.4) डी.पी.एम.यू. व वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालॉइजर स्थापना- रू० 80,000 / प्रति ।

(3.5) मैनुअल फ़ैट टैस्टिंग मशीन- रू० 1,000 / प्रति मशीन ।

(3.6) मैनुअल चैप कटर- रू० 5,000 / प्रति नग ।

(3.7) इलेक्ट्रिकल चैप कटर (मोटर सहित) रू० 10,000 / प्रति नग ।

(4.) प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम-

(4.1) समिति भवन वॉल पेंटिंग- रू० 10,000 / प्रति समिति ।

(4.2) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन-

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	प्रति व्यक्ति दर/दिन	कुल सहायता (रू० में)
1.	समिति सचिव रिफ़ेसर प्रशिक्षण	7 दिन	500.00	3,500.00
2.	फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम	2 दिन	500.00	1,000.00
3.	प्रबन्ध समिति सदस्य प्रशिक्षण	3 दिन	500.00	1,500.00
4.	स्टाफ़ प्रशिक्षण (प्रशिक्षक मानदेय सहित)	5 दिन	1000.00	5,000.00
5.	5.1 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी 5.2 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण 5.3 दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन	1 दिन	रू० 2,000 / - प्रतिगोष्ठी रू० 400 / - प्रति किट । रू० 2,200 / - प्रति दुग्ध मार्ग ।	

(4.3) पशु चिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्प - रू० 5,000 प्रति कैम्प ।

(5.) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता:-

क्र.सं.	विवरण	दर
5.1	पशुशाला (01 पशु व 01बछडा हेतु 60 वर्ग फुट)	रू० 12,000 / - प्रति पशुशाला
5.2	पशु नाद एवं पशु चरी व्यवस्था-	
	पशु नाद-	रू० 4,000 / - प्रति ।
	पशु चरी व्यवस्था-	रू० 2,500 / - प्रति ।

(6.) दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रम:-

(6.1) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम - रू० 7,000 / - प्रति कैम्प ।

(6.2) मिल्क टैस्टिंग प्रोत्साहन- रू० 1.00 / - प्रति सैम्पल ।

पर्वतीय क्षेत्र (10 ली० से अधिक की दुग्ध समितियों हेतु)

(6.3) सचिव प्रोत्साहन- दुग्ध व्यवसाय का 3.5: ।

(10 ली० से अधिक की दुग्ध समिति हेतु)

## 2. राज्य सेक्टर योजना:-

### 2.1. डेरी विकास योजना:-

- **प्रबंधकीय अनुदान:-** इसके अन्तर्गत दुग्ध संघ स्तर पर मानव संसाधन की कमी को दूर करने के दृष्टिकोण से संघ स्तर पर नियुक्त किये गये प्रबंधकीय स्टाफ, ग्रुप सचिवों को राजकीय अनुदान के रूप में मानदेय रू० 5,330.00 प्रति ग्रुप सचिव/ कार्यालय श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।
- **यातायात योजना:-** इसके अन्तर्गत दुग्ध समितियों से दुग्ध संग्रह कर दुग्धशाला तक लाने हेतु दुग्ध परिवहन में आने वाले व्यय में से राजकीय अंश के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध के ढूलान पर होने वाले यातायात व्यय के अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु यातायात अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- **अवस्थापना सुविधायें:-** इसके अन्तर्गत दुग्ध संघों को सिविल कार्य व प्लाण्ट मशीनरीज मदों में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इससे दुग्ध संघों का सुदृढीकरण का कार्य किया जाता है।

### 2.2. गंगा गाय महिला डेरी योजना:-

- "गंगा गाय महिला डेरी योजना" के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत 1,099 महिला सदस्यों को एक उन्नत संकर नस्ल की दुधारू गाय क्रय करने हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी को पशुनाद के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है।
- योजनान्तर्गत क्रय की गयी दुधारू गाय का तीन वर्ष का पशुबीमा करवाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है।
- "योजना की प्रतियूनिट लागत निम्नवत् है-

क्र० सं०	विवरण	दुधारू पशु की इकाई	इकाई की लागत	अनुदान की धनराशि	बैंक ऋण की राशि	लाभार्थी अंशदान की राशि
1.	क्रास ब्रीड गाय	1	40,000	20,000	20,000	0
2.	परिवहन लागत	1	2,800	1,400	0	1,400
3.	दुधारू पशु का तीन वर्ष का बीमा	1	1,920	960	0	960
4.	पशु नांद/चरी क्रय हेतु अनुदान	1	2,000	2,000	0	0
5.	दुधारू पशु हेतु चारे दाने की व्यवस्था	1	5,280	2,640	0	2,640
	<b>योग-</b>	<b>1</b>	<b>52,000</b>	<b>27,000</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>

### 2.3. दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना:-

- इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 8.00 प्रतिशत एस0एन0एफ0 अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को रू0 4.00 प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.99 प्रतिशत एस0एन0एफ0 की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को रू0 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि राजअनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

### 2.4. महिला डेरी विकास योजना:-

- प्रदेश में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु महिला डेरी विकास परियोजना के माध्यम से महिला दुग्ध समितियों का गठन कर ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को जीवकोपार्जन हेतु आय-व्यय जागरूकता, सामाजिक उत्थान, स्वावलम्बी बनाने हेतु तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वेतन, प्रोपल्शन आदि के अतिरिक्त महिला दुग्ध समितियों का गठन – रू0 53,85,300.00 प्रति समिति, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजन/सेमिनार – रू0 11,000.00 प्रति जनपद तथा महिला दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिव प्रशिक्षण, प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण, स्टाफ प्रशिक्षण तथा स्वच्छ दुग्ध उपार्जन गोष्ठी हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

## 3. रोजगार सृजन:-

कार्यरत समितियां-	2474
सदस्यता-	152867
दैनिक दुग्ध उपार्जन (किग्रा0)-	172588 कि0ग्रा0
प्रति समिति औसत दुग्ध उपार्जन-	69.76 लीटर
दैनिक नगरीय दुग्ध विक्रय (ली0)-	145950 कि0ग्रा0
पशु आहार विक्रय (मै0टन)-	12077 मै0टन
प्राथमिक पशु चिकित्सा संख्या/डिवार्मिंग-	30424 / 77040

## 4. स्वाट (swot) विश्लेषण:-

### ताकत (Strength) :-

- 1- सहकारी संस्था होने के कारण समय-समय पर शासकीय संरक्षण एवं सहायता।
- 2- पर्यटक स्थल होने के कारण दूध की बिक्री के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है।
- 3- पशुपालन एवं डेरी व्यवसाय हेतु विभिन्न श्रोतों से व्यापक निवेश हो रहा है।
- 4- सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक जनसहयोग है।



### **कमजोरियों (Weakness) :-**

- 1-सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप व्यवसाय में बाधक।
- 2-त्वरित निर्णय प्रक्रिया का आभाव।
- 3-अत्यधिक कच्चा व्यवसाय होने के कारण अस्थिरता की स्थिति बनी रहना।
- 4-पुरानी मशीनरी एवं छोटा संयंत्र।
- 5-कार्मिकों का मूल्यांकन योग्यता एवं उपयोगिता पर आधारित न होकर वरियता के आधार पर किया जाना।

### **5. सम्भावनाएँ (Opportunities) :-**

- 1-दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के उपयोग के प्रति स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ रही है।
- 2-व्यवसाय का विविधीकरण।
- 3-ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जनसंख्या वृद्धि तथा कृषि जोते छोटी होने से स्वरोजगार के लिए पशुपालन पर निर्भरता बढ़ रही है।

### **6. भय (Threat) :-**

- 1-इंधन में (कोयला,तेल बिजली) तथा पैकिंग मैटेरियल की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि।
- 2-उपभोक्ताओं में फैट (घी) उपयोग कम करने की और रूझान का बढ़ना।
- 3-विश्व व्यापार और वैश्वीकरण की बढ़ती चुनौतियाँ तथा नये कारधानों का बोझ।
- 4-शहरों का तेजी से गाँव की तरफ बढ़ने से कृषि एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में कमी होना।
- 5-औद्योगीकरण का तीव्र विकास डेरी व्यवसाय को प्रतिस्थापित कर सकता है।

### **7. प्रमुख आवश्यकतायें / कार्यक्रम / विचार:-**

- 1-दक्ष, प्रशिक्षित एवं उच्च शिक्षा प्राप्त प्रबन्धकीय श्रम शक्ति।
- 2-वर्तमान श्रम शक्ति का प्रशिक्षण,भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर क्षमता विकास।
- 3-दुग्धशाला मे प्लांट मशीनरी का आधुनिकीकरण।

## अध्याय – 12

### मत्स्य विकास

मत्स्य पालन द्वारा रोजगार सृजन की अपार सम्भावनायें हैं। विभाग द्वारा वर्तमान में निम्न योजनाएं मण्डल में चलायी जा रही हैं:-

#### (अ) कच्चे तालाबों का निर्माण

पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए शीत जल मत्स्यिकी का विकास योजना के नाम से रनिंग वाटर तालाब निर्माण की योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में योजना अन्तर्गत 12 हजार रु० प्रति यूनिट की दर से एक लाभार्थी को अधिकतम 3 यूनिट या 300 वर्गमी० हेतु 36 हजार रु० तक अनुदान दिया जा रहा है।

#### (ब) मत्स्य पालन प्रशिक्षण

मत्स्य पालकों को दस (10) दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि मत्स्य पालक वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन कर अधिक उत्पादन कर सकें। योजना के नाम के अनुसार रु० 150/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता तथा रु० 250/- एक फील्ड ट्रिप (स्थल भ्रमण) भत्ता देय है। इस प्रकार एक प्रशिक्षार्थी को रु० 1750/- मात्र प्रशिक्षण भत्ता देय होता है।

#### (स) मत्स्य बीज वितरण

योजना के अन्तर्गत निर्मित कराए गए तालाबों में विभाग द्वारा उन्नत प्रजाति का मत्स्य बीज राजकीय दरों पर वितरित किया जाता है। मत्स्य बीज का वितरण भीमताल मत्स्य प्रक्षेत्र नैनीताल, मनान मत्स्य प्रक्षेत्र अल्मोड़ा तथा उधमसिंहनगर स्थित विभागीय धौरा मत्स्य प्रक्षेत्र एवं अभिकरण की हैचरी, हेमपुर (काशीपुर) से किया जाता है।



मत्स्य पालन के द्वारा उपलब्ध जल श्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन भी किया जा सकता है। मत्स्य पालन हेतु संरक्षित जल श्रोत से इसके आस-पास नमी बनी रहती है, जिससे वनस्पति का दोगुना उत्पादन होने के साथ-साथ जलीय पारिस्थितिकी में भी संतुलन बना रहता है।

मत्स्य पालन योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ-साथ प्रोटीनयुक्त मांसाहार की सस्ती एवं सहज आपूर्ति होने पर कुपोषण की समस्या भी दूर हो सकती है। तालाब निर्माण से पशुओं के पीने के पानी की समस्या दूर होने के साथ-साथ सब्जी उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है। पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु सैकड़ों हैक्टर नदी के किनारे के निष्प्रयोज्य भूमि तथा मैदानी क्षेत्रों के निष्प्रयोज्य दलदली भूमि का भरपूर उपयोग करने हेतु मत्स्य विभाग को जिला योजना से भी प्रयाप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। कुमाऊँ मण्डल में इस विभाग के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त है जिसमें तैनाती की व्यवस्था अपेक्षित है।

## अध्याय-13

### ग्राम्य विकास

#### 1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :-



स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित हो चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवारों विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित कर समूहों के माध्यम से सशक्त करते हुए बचत की प्रवृत्ति का विकास


करना एवं ऋण उपादान के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करना है।

#### राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) वर्ष 2015-16

क्र० सं०	जनपद	चिन्हित महिला समूहों की संख्या	नवगठित/ पुनर्जीवित किये गये समूह	रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त समूह
1	पिथौरागढ़	92	92	56
2	अल्मोड़ा	18	18	201
3	नैनीताल	80	80	88
4	ऊधमसिंह नगर	2760	253	120
5	बागेश्वर	248	56	48
6	चम्पावत	46	22	40
योग मण्डल		<b>3244</b>	<b>521</b>	<b>553</b>

2. इन्दिरा आवास योजना :- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मुक्त बंधुवा मजदूरों, अनुसूचित

/अनुसूचित जनजाति तथा विकलांगों, मृतक सैनिकों/अर्द्ध सैनिकों के



परिवारों/विधवाओं, भूतपूर्व/सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्द्ध सैनिकों को बिना आय सीमा के बाधा के एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह, अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के आवास विहीन परिवार होंगे। गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या की कुल लाभार्थियों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। योजना में प्रति आवास पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 75000 रु० मात्राकृत है। आवास में शौचालय, धूम्र रहित चूल्हा, आवास नाम पट्टिका होना आवश्यक है। जनपदवार वर्ष 2015-16 की प्रगति निम्न प्रकार है :-

जनपद	लक्ष्य	पूर्ति
अल्मोड़ा	285	285
बागेश्वर	242	55
नैनीताल	113	113
ऊधमसिंह नगर	2009	2019
पिथौरागढ़	125	1958
चम्पावत	46	210
<b>योग मण्डल</b>	<b>2820</b>	<b>4640</b>

3. नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना:- नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रु० 32000 मात्र है, योजना में लक्षित है। योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु रु० 10000 अनुदान तथा रु० 40000 बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।

4. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम:-राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम अपारम्परिक ऊर्जा



श्रोत मंत्रालय भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो भारत सरकार से शत-प्रतिशत वित्त पोषित है। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं लाभार्थियों का चयन इस योजना में किया जाता है, जो इसमें रुचि रखते हो तथा इसे अपने व अपने परिवार के विकास का एक आवश्यक अंग मानते है, साथ ही इस योजना को

अंगीकार करने के इच्छुक भी हो। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि केवल वे ही लाभार्थी इस योजना के लिए चयन किये जाय जिनके पास स्वयं के पर्याप्त पशु हों। बायोगैस संयंत्रों पर जिनकी क्षमता एक घन मी० से 10 घन मी० तक है, उन्हें रू० 10000 अनुदान दिया जाता है। बायोगैस संयंत्रों को स्वच्छ शौचालयों से जोड़ने पर रू० 1000 प्रति संयंत्र की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2015-16 में 451 बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया गया, जनपदवार सूचना निम्न प्रकार है :-

जनपद	लक्ष्य	पूर्ति
अल्मोड़ा	25	25
बागेश्वर	8	8
नैनीताल	225	225
ऊधमसिंह नगर	170	170
पिथौरागढ़	15	15
चम्पावत	8	8
<b>योग मण्डल</b>	<b>451</b>	<b>451</b>



## 5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) :-



**उद्देश्य :-** ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिवस के श्रम रोजगार की कानूनी गारण्टी प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा की वृद्धि। जल संरक्षण, सूखा निवारण, सिंचन सुविधा, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण व जल विकास व सर्वमौसम सड़क द्वारा संयोजकता संबंधी कार्यों का निष्पादन।

**पात्रता :-** पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने के इच्छुक

हों।

**योजना का कार्य क्षेत्र :-** सम्पूर्ण राज्य

**क्रियान्वयन प्रक्रिया :-** ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार चाहने वाले परिवारों का पंजीकरण।

श्रम रोजगार के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के परिचय पत्र/जाब कार्ड की सुविधा।

ग्राम स्तर पर इस कार्य का संचालन ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। जाब कार्ड के माध्यम से इच्छुक कार्य करने वाले व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है, जिन्हें 15 दिन के भीतर अपने ग्राम पंचायत या निकट के ग्राम पंचायत में काम दिया जाता है। इनके मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस या बैंक के माध्यम से किया जाता है।

- पंजीकृत मजदूरों द्वारा कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन।
- योजनान्तर्गत ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबन्धित।
- पंजीकृत आवेदनकर्त्ता द्वारा कार्य हेतु आवेदन प्राप्ति पर श्रम रोजगार की उपलब्धता 15 दिवस के भीतर।
- कम से कम लगातार 14 दिन के कार्य के लिए आवेदन करना अनिवार्य।

**अधिनियम के अन्तर्गत वरीयतानुसार अनुमन्य कार्य :-**

- जल संरक्षण एवं जल संग्रहण।
- सूखा निवारण, वनीकरण व वृक्षारोपण।
- सिंचाई नहर जिसमें सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य भी सम्मिलित है।
- अनु0जाति/जनजाति के परिवारों अथवा भूमि सुधार योजना के लाभार्थी परिवारों की भूमि हेतु सिंचाई सुविधा का प्रविधान।

- परम्परागत जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार जिसमें तालाबों की सफाई भी सम्मिलित है।
- भूमि विकास।
- बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा कार्य जिसमें जल भराव क्षेत्रों से जल निकास भी सम्मिलित है।
- सर्वमौसम सड़क सम्पन्न द्वारा ग्रामीण संयोजकता।

#### कार्यस्थलीय सुविधायें :-

- चिकित्सा सुविधा, पीने का पानी, आराम हेतु छाया की उपलब्धता।
- छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताओं द्वारा कार्य किए जाने की दशा में यदि वे संख्या में 5 से अधिक हैं तो उनके बच्चों हेतु क्रेच की व्यवस्था।
- कार्य करते दुर्घटना से घायल व्यक्ति की निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल भर्ती की स्थिति में आधी मजदूरी देय। मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि देय।

#### मजदूरी भुगतान प्रक्रिया :-

- राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी देय। वर्तमान दर रू0 156 प्रतिदिन प्रतिश्रमिक निर्धारित।
- महिला तथा पुरुष को एक समान मजदूरी देने की व्यवस्था।
- विलम्बतम 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था।
- कार्यों के लिए श्रमांश कम से कम 60 तथा सामग्री अंश अधिकतम 40 निर्धारित जिसमें कुशल व अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी भी सम्मिलित है।

#### बेरोजगारी भत्ता :-

- पंजीकृत मजदूरों को निर्धारित अवधि के भीतर कार्य आवंटन न होने की दशा में बेरोजगारी भत्ता देय।
- प्रथम 30 दिवसों हेतु मजदूरी की एक चौथाई एवं शेष अवधि के लिए मजदूरी की आधी दर।
- खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी बेरोजगारी भत्ता भुगतान हेतु उत्तरदायी।

#### वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था :-

- **केन्द्र सरकार द्वारा** – अकुशल मजदूरों की पूर्ण मजदूरी तथा कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों को देय मजदूरी एवं सामग्री अंश का 75।
- **राज्य सरकार द्वारा** – कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों की कुल मजदूरी एवं सामग्री अंश का 25 तथा बेरोजगारी भत्ता देय।

#### आवंटन प्रक्रिया :-

- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को अपने-अपने अंश की धनराशि अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाना।
- कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अग्रिम के रूप में अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था।

- क्रमिक धनावंटन उपयोग एवं मांग आधारित।

#### पारदर्शिता :-

- कार्य के वित्तीय एवं भौतिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अतिरिक्त महालेखाकार/सी0ए0जी0 भारत सरकार, स्थानीय लेखा सम्प्रेक्षा तथा विभागीय सम्प्रेक्षा द्वारा सम्प्रेक्षण की व्यवस्था।
- ग्राम पंचायत के विवरणों के सम्प्रेक्षण हेतु अन्तर्जनपदीय सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना।
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक सम्प्रेक्षण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम का पूर्ण पालन।
- जिलास्तरीय अनुश्रवण एवं सतक्रता समितियों द्वारा निगरानी।

#### योजना की विस्तृत जानकारी के लिए सम्पक्र करें :-

- शासन स्तर पर – प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
- विभागाध्यक्ष स्तर पर – आयुक्त/उपायुक्त/सहा0 आयुक्त ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौडी, अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
- जनपद स्तर पर – जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक।
- विकास खण्ड स्तर पर – खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर – प्रधान ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी।

#### मजदूरी पंजीकरण हेतु आवदेन करें :-

- ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत में।

#### जाब कार्ड हेतु सम्पक्र करें करें :-

- ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत में
- खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी

#### कार्य आवंटन हेतु सम्पक्र करें करें :-

- ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
- खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी

**6. सार्वभौम रोजगार योजना :-** योजना के अन्तर्गत ऐसे इच्छुक युवक/युवतियों, पुरुषों एवं महिलाओं हेतु स्वरोजगार लक्षित करती है, जो स्थानीय रूप में स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन करना चाहते हैं। इसके अन्तर्गत ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो केन्द्र अथवा राज्य द्वारा प्रायोजित एवं सहायतित किसी भी ऋण सह अनुदान

स्वरोजगार/रोजगार योजना का लाभार्थी न हो एवं सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्रों में निर्मित रूप से सेवायोजित न हो, पात्रता की श्रेणी में आता है। योजना में 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं 33 प्रतिशत महिलाओं एवं 3 प्रतिशत विकलांगों का आच्छादन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत चयनित क्रिया कलापों/गतिविधियों के लिए प्रथम वर्ष रू0 7000, द्वितीय वर्ष रू0 5000 प्रोत्साहन अनुदान एवं तृतीय वर्ष में रू0 3000 प्रोत्साहन अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त स्नातक एवं उससे अधिक शिक्षित स्वरोजगारी को अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान कुल देय अनुदान का 10 प्रतिशत है। अनुदान की राशि किसी भी दशा में प्रयोजना लागत की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। योजना के अन्तर्गत जड़ी-बूटी एवं सुगन्ध पादप, खाद्य प्रसंस्करण, पनचक्की सेवा व्यवसाय, वाणिज्य कृषि, शिल्पकारी आदि क्रिया कलाप हेतु स्वरोजगारियों को वित्त पोषित किया जाता है।

## अध्याय – 14

### विद्युत

आर्थिक विकास हेतु प्रमुख अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता के अन्तर्गत विद्युत सबसे प्रमुख है। सामान्यजन के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन विद्युत पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्यों के लिये भी विद्युत का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। कुमायूँ मण्डल में 6876 राजस्व ग्राम है, जिनमें से वर्ष 2015-16 के अन्त तक 6865 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिला



नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर तथा चम्पावत में सभी ग्राम विद्युतीकृत हैं। पिथौरागढ़ में 99.61 प्रतिशत तथा बागेश्वर में 99.29 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं।

जनपदवार विद्युतीकृत ग्रामों का विवरण वर्ष 2015-16 की स्थिति के अनुसार

निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	जनपद	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या			
		पावर कारपोरेशन द्वारा	उरेडा द्वारा	लघु जल विद्युत	योग
1.	अल्मोड़ा	2155	1	0	2156
2.	बागेश्वर	789	20	31	840
3.	नैनीताल	1052	0	0	1052
4.	पिथौरागढ़	1444	86	0	1530
5.	ऊधम सिंह नगर	655	0	0	655
6.	चम्पावत	605	27	0	632
<b>योग मण्डल</b>		<b>6700</b>	<b>134</b>	<b>31</b>	<b>6865</b>



## अध्याय – 15

### उद्योग

आर्थिक विकास के युग में अब यह निर्विवाद रूप से परिलक्षित हो रहा है कि उद्योगों के बिना किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास मात्र कल्पना ही है। ऐसी स्थिति में उद्योगों की आवश्यकता मूलभूत आवश्यकताओं के समान है। एक तरफ उद्योगों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार के साथ-साथ अपनी क्षमता को विकसित करने का अवसर उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार उद्योगों का विकास आर्थिक विकास का प्रमुख द्योतक है। कारखाना अधिनियम 1948 के



अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल में 1452 कारखाने क्रियाशील है। इन कारखानों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 94953 है। जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थापित पंजीकृत कारखानों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 88045 है, जो कुमायूँ मण्डल में कार्यरत कारखानों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का 93 प्रतिशत है।

खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2015-16 तक 6755 इकाइयों में 18303 व्यक्ति कार्यरत है। लघु उद्योग के अन्तर्गत 10147 इकाइयों में 32863 व्यक्ति कार्यरत है।

सिडकुल :- जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2010-11 तक 73 वृहत उद्योग, उद्योगपतियों द्वारा स्थापित किये गये हैं। उत्तराखण्ड शासन ने 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्थायी बेरोजगार नव युवकों को रोजगार देने का निर्णय लिया गया है।

**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति**  
**उद्योग विभाग** **माह: मार्च, 2016** **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र० सं०	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य (संख्या में)	बैंको को प्रेषित प्रार्थना पत्र		बैंको द्वारा स्वीकृत प्रार्थना पत्र संख्या		बैंको द्वारा वितरित प्रार्थना पत्र		बैंको को प्रेषित प्रार्थना पत्र के सापेक्ष वितरित प्रार्थना पत्र का प्रतिशत
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अल्मोड़ा	28	56	221.39	45	178.39	33	109.50	61.38
2	बागेश्वर	30	87	230.50	67	169.50	65	130.36	76.91
3	पिथौरागढ़	30	89	191.50	62	138.75	55	114.69	82.66
4	चम्पावत	30	59	169.50	51	146.00	49	141.50	96.92
5	नैनीताल	22	155	918.61	56	297.78	51	269.78	90.60
6	ऊधमसिंह नगर	30	59	437.74	32	260.50	30	232.50	89.25
<b>योग कुमाऊँ</b>		<b>170</b>	<b>505</b>	<b>2169.24</b>	<b>313</b>	<b>1190.9</b>	<b>283</b>	<b>998.33</b>	<b>83.83</b>

## अध्याय – 16

### मार्ग परिवहन तथा संचार

आर्थिक विकास तथा जनजीवन के स्तर को उन्नत करने में मार्ग परिवहन तथा संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा जनजीवन के समग्र विकास में सड़कें एवं परिवहन प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। इनके अतिरिक्त इसके द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। संचार साधनों द्वारा पारस्परिक सम्पर्क की सुविधा प्राप्त होने के अतिरिक्त जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरम बनता है।

वर्ष 2015-16 तक इस मण्डल में कुल सड़कों की लम्बाई तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत पक्की सड़कों की लम्बाई निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	जनपद	लोक निर्माण विभाग की सड़कों की लं० (किमी०)	अन्य विभागों के अन्तर्गत सड़कों की लम्बाई (किमी०)	कुल पक्की सड़कों की लं० (किमी०)
1	अल्मोड़ा	3606.95	136.04	3742.99
2	बागेश्वर	794.67	37.00	831.67
3	नैनीताल	3247.51	1304.23	4551.74
4	ऊधमसिंहनगर	2327.65	1677.47	4005.12
5	पिथौरागढ़	1685.40	255.50	1940.90
6	चम्पावत	967.11	421.03	1388.14
<b>योग मण्डल</b>		<b>12629.29</b>	<b>3831.27</b>	<b>16460.565</b>

प्रतिलाख जनसंख्या पर कुमायूँ मण्डल में पक्की सड़कों की लम्बाई 389.23



किमी० है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में प्रतिलाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई चम्पावत में 534.62 किमी०, नैनीताल में 476.82 किमी०, अल्मोड़ा में 601.28 किमी०, पिथौरागढ़ में 401.48 किमी०, बागेश्वर में 320.00 किमी० तथा ऊधमसिंह नगर 242.90 किमी० है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमायूँ मण्डल

में प्रति हजार वर्ग किमी० पर पक्की सड़कों की लम्बाई 782.57 किमी० है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में ऊधमसिंह नगर में 1575.58 किमी०, नैनीताल में 1070.75 किमी०, अल्मोड़ा में 1192.42 किमी०, चम्पावत में 786.04 किमी०, बागेश्वर में 370.29 किमी० तथा पिथौरागढ़ में मात्र 273.75 किमी० है। क्षेत्रफल के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में सड़कों की लम्बाई बहुत कम है।

जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर में सड़कों की लम्बाई अपेक्षाकृत कम है। जिसका कारण यह है कि इन जनपदों का अधिकांश उत्तरी क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है जहाँ पर जनसंख्या नगण्य है। अतः वहाँ सड़क निर्माण की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है।

**रेल लाइनें** :- मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय है जिसमें रेल लाइनों का बिछाया जाना सम्भव नहीं है। जनपद चम्पावत, नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में 3 रेलवे लाइनें उ०प्र० के मैदानी क्षेत्र से आकर क्रमशः टनकपुर, काठगोदाम तथा रामनगर पर समाप्त हो जाती है, जिसमें सभी स्टेण्डर्ड व मीटर गेज की लाइनें हैं। मण्डल के भीतर पड़ने वाली रेल लाइनों की कुल लम्बाई 212 किमी० है, इन रेल लाइनों द्वारा न केवल यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है अपितु इस मण्डल से कच्चा माल जैसे लकड़ी, पत्थर तथा अन्य वन उत्पाद आदि को मैदानी भागों को ढोने तथा मैदानी भागों से खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को यहाँ तक पहुँचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

**संचार सेवायें** :- वर्ष 2015-16 तक कुमायूँ मण्डल में 1146 डाक घर स्थापित हैं। कुमायूँ मण्डल के अल्मोड़ा में 320, पिथौरागढ़ में 322, नैनीताल में 159, बागेश्वर में 152, ऊधमसिंह नगर में 110 तथा चम्पावत में 83 डाकघर हैं। कुमायूँ मण्डल में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 69374 है। जिसमें से सर्वाधिक 42652 जनपद ऊधमसिंह नगर में टेलीफोन कनेक्शन हैं। 5995 जनपद अल्मोड़ा में, 208318 जनपद नैनीताल में, 1500 जनपद चम्पावत में 3398, जनपद पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर में 1025 टेलीफोन कनेक्शन हैं।

मण्डल में जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में संचार सुविधायें अधिक हैं तथा जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र हैं एवं जनपद चम्पावत का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र होने पर भी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात में सुविधायें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

## अध्याय – 17

### बैंकिंग सेवा



बैंकिंग सेवा के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 524, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें 138 तथा अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें 161 कार्यरत है। वर्ष 2015-16 में व्यवसायिक बैंको की जमा धनराशि 2662411.86 लाख रुपया है। बैंकों द्वारा वर्ष 2015-16 में 1580429.64 लाख रुपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2015-16 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 59.36 रहा है। वर्ष 2015-16 में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य में 1188001.42 लाख रुपया, लघु उद्योग तथा अन्य में 369910.66 लाख रुपया ऋण वितरित किया गया है।

वर्ष 2015-16 में जनपदवार बैंक सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है –


क्र० सं०	जनपद का नाम	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा	अन्य व्यवसायिक बैंक शाखा	जिला सहकारी बैंक	सहकारी बैंक की शाखा	सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शाखा
1	अल्मोड़ा	86	29	12	1	22	1
2	बागेश्वर	27	14	3	0	8	0
3	नैनीताल	128	37	53	1	29	2
4	ऊधमसिंह नगर	203	20	71	4	29	4
5	पिथौरागढ़	51	30	3	1	21	0
6	चम्पावत	29	8	19	0	8	0
	<b>योग मण्डल</b>	<b>524</b>	<b>138</b>	<b>161</b>	<b>7</b>	<b>117</b>	<b>7</b>



## अध्याय – 18

### शिक्षा

शिक्षा का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा पर निर्भर करती है। अतः शिक्षा आर्थिक विकास का



अभिन्न अंग है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक राजस्व ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायूँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। कुमायूँ मण्डल

में महिला साक्षरता का प्रतिशत 69.61 तथा जबकि पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 87.36 है। जनगणना 2011 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में साक्षरता का प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	जनपद	पुरुष	स्त्री	कुल व्यक्ति
1	अल्मोड़ा	92.86	69.93	80.47
2	नैनीताल	90.07	77.29	83.88
3	ऊधमसिंहनगर	81.09	64.45	73.10
4	पिथौरागढ़	92.75	72.29	82.25
5	बागेश्वर	92.33	69.03	80.01
6	चम्पावत	91.61	68.05	79.83
	<b>योग मण्डल</b>	<b>87.36</b>	<b>69.61</b>	<b>78.52</b>

साक्षरता का प्रतिशत 6 से अधिक वर्ष की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मण्डल में जनपद नैनीताल का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है तथा ऊधमसिंहनगर में सबसे कम है। लिंगवार साक्षरतान्तर्गत

जनपद ऊधमसिंह नगर में स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत अन्य जनपदों के सापेक्ष कम है।

कुमायूँ मण्डल में जूनियर बेसिक स्कूल 6999, सीनियर बेसिक स्कूल 1627 तथा 1367 माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं।

जनपदवार विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	मद	ज०बे० स्कूल	सी०बे० स्कूल	हा० से० स्कूल	स्नातक / स्नातकोत्तर	विश्वविद्यालय (संख्या में)
1	अल्मोड़ा	1458	194	360	9	0
2	बागेश्वर	654	157	113	5	0
3	नैनीताल	1296	306	238	6	3
4	ऊ०नगर	1477	466	296	13	1
5	पिथौ०	1491	391	243	7	0
6	चम्पावत	623	113	117	4	0
<b>योग मण्डल</b>		<b>6999</b>	<b>1627</b>	<b>1367</b>	<b>44</b>	<b>4</b>

जनसंख्या के आधार पर समीक्षा करने पर पाया गया है कि कुमायूँ मण्डल में प्रतिलाख जनसंख्या पर 166 जूनियर बेसिक स्कूल हैं। जिसमें से जनपद अल्मोड़ा में 234, बागेश्वर में 252, पिथौरागढ़ में 308, चम्पावत में 240, नैनीताल में 136 तथा ऊधमसिंह नगर में 90 स्कूल स्थापित हैं।

कुमायूँ मण्डल में प्रतिलाख जनसंख्या पर 38 सीनियर बेसिक स्कूल हैं। जिसमें से अल्मोड़ा में 31, बागेश्वर में 60, पिथौरागढ़ में 81, चम्पावत में 44, नैनीताल में 32 तथा ऊधमसिंह नगर में 28 स्कूल स्थापित हैं। कुमायूँ मण्डल में प्रतिलाख जनसंख्या पर 32 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें से जनपद अल्मोड़ा में 58, बागेश्वर में 43, पिथौरागढ़ में 50, चम्पावत में 45, नैनीताल में 25 तथा ऊधमसिंह नगर में 18 स्कूल स्थापित हैं।

**कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय** – बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी जनपदों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 75

प्रतिशत एवं शेष 25 प्रतिशत बी0पी0एल0 श्रेणी की बालिकाएं प्रवेश ले सकती है। जनपद नैनीताल में खनस्यू , अल्मोडा में चगेठी एवं सुनाडी, पिथौरागढ़ में दशाईथल, ऊधमसिंह नगर में सितारगंज एवं बाजपुर एवं बागेश्वर में उतरौडा तथा जनपद चम्पावत में टनकपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय स्वीकृत है।

**तकनीकी शिक्षा :-** प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के उपरान्त व्यक्तियों को विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिए वाँछित रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित होना वर्तमान समय में आवश्यकीय हो गया है। इस उद्देश्य से तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है, जो कि युवकों को शिक्षा के उपरान्त रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायक हो सके।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2015-16 तक तकनीकी सुविधायें निम्नवत हैं :-  
(संख्या में)

क्रम संख्या	जनपद	पालीटेक्निक	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
1	अल्मोडा	12	18
2	बागेश्वर	3	6
3	नैनीताल	5	14
4	ऊधमसिंह नगर	5	11
5	पिथौरागढ़	8	16
6	चम्पावत	3	8
<b>योग मण्डल</b>		<b>36</b>	<b>73</b>

## अध्याय – 19

### चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

मण्डल में वर्ष 2015-16 तक 234 एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय एवं 231 आयुर्वेदिक चिकित्सालय /औषधालय तथा 58 होम्योपैथिक चिकित्सालय/ औषधालय और 36 सामु0 स्वा0 केन्द्र, 99 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 848 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र / मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थापित हैं।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2015-16 के अन्त में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	जनपद	एलोपैथिक चि0/औष0	प्रा0स्वा0 केन्द्र	सामु0 स्वा0 केन्द्र	चिकित्सालय में शैय्या	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र उपकेन्द्र	आर्यु0 चिकि0 एवं औष0	होम्योपैथिक चिकित्सालय /औषधालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अल्मोड़ा	43	24	8	704	215	70	12
2	बागेश्वर	17	14	3	184	87	18	6
3	नैनीताल	83	18	8	1976	142	36	14
4	ऊ0 नगर	14	28	7	570	161	23	10
5	पिथौरागढ़	59	13	8	612	170	59	11
6	चम्पावत	18	2	2	214	73	25	5
<b>योग मण्डल</b>		<b>234</b>	<b>99</b>	<b>36</b>	<b>4260</b>	<b>848</b>	<b>231</b>	<b>58</b>

जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिलाख जनसंख्या पर जनपद अल्मोड़ा में 12, बागेश्वर में 13, नैनीताल में 11, ऊधमसिंह नगर में 3, पिथौरागढ़ में 17 तथा चम्पावत में 8 एवं कुमायूँ मण्डल में 9 एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं।



भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सालयों में सामान्य जनता का पहुँचना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः पर्वतीय अंचलों में औषधालयों तथा छोटे चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि किया जाना उपयुक्त होगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में (एन0आर0एच0एम0) कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर आशा कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24X7 सुविधायें,

आयुष का एकीकरण आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

**ई0एम0आर0आई0 108** - उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में एन0आर0एच0एम0 के तहत ई0एम0आर0आई0 108 द्वारा अपनी सेवायें प्रदान की जा रही हैं जो कि आकस्मिक रोगियों को चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रही है। कुमायूँ मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण सभी स्थानों पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

## अध्याय – 20

### जल सम्पूर्ति

कुमाऊँ मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण ग्रामों में पेयजल की सुविधा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है कुआँ, हैंडपम्प तथा ट्यूबवैल द्वारा



जनपद नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के मैदानी भागों के ग्रामों में ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। पर्वतीय ग्रामों में पेयजल की सुविधा शीघ्र नियमित कराये जाने की आवश्यकता है।

स्वच्छ पेयजल मानव जीवन के लिए नितान्त आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पर्वतीय भू-भाग में अधिकांश जल स्रोत सूख रहे हैं तथा अधिकांश जल स्रोतों में जल का स्तर निरन्तर कम होता जा रहा है। अतः पर्वतीय भाग में जल स्रोतों के दोहन के साथ-साथ जल संरक्षण का कार्य वृहत् स्तर पर किया जाना आवश्यक है। भूमि एवं जल संरक्षण योजना तथा जलागम योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण कार्यों को महत्व दिया जा रहा है। यद्यपि प्रत्येक आबाद ग्राम में उपलब्ध स्थानीय प्राकृतिक स्रोतों से पानी के पाइप पहुँचाये जाते हैं किन्तु गत वर्षों से जल स्रोत सूख जाने के कारण पेयजल आपूर्ति कम हो गयी है।

ग्रामों में जल स्रोतों एवं पाइप लाइन की देखरेख हेतु बहुत कम मानदेय पर अल्प समय वाले मजदूर रखे गये हैं इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

## अध्याय – 21

### पर्यटन

कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे सुन्दर एवं आकर्षक क्षेत्र है। जनपद ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र से आरम्भ होकर पिथौरागढ़ के अन्तिम छोर तक अनेक ऊँची-नीची पर्वतमालाएं एवं शस्यश्यामला वसुन्धरा के बीच यह मण्डल अपने में एक विशेष आकर्षण प्रस्तुत करता है। यहाँ से कैलाश एवं मानसरोवर के दुर्गमपथ, ऊँची-नीची पर्वत मालायें एवं ग्लेशियर के मनोरंजक स्थल देश-विदेश के पर्यटकों को बरबस आकर्षित करते हैं।



जनपद नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, नेशनल कार्बेट पार्क रामनगर तथा मुक्तेश्वर मुख्य पर्यटन स्थल तथा कैची धाम, हैड़ाखान मुख्य धार्मिक स्थल हैं। जहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक/श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।



जनपद ऊधमसिंह नगर में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल नानकमत्ता, काशीपुर में द्रोण सागर तथा गिरिताल पर्यटकों का मुख्य आकर्षक स्थल है। रुद्रपुर में झील का निर्माण स्वीकृत हुआ है जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। काशीपुर में माँ दुर्गा का प्रति रूप चैती माई का मन्दिर है। जहाँ प्रतिवर्ष चैत्रमास में 15 दिन का धार्मिक तथा पर्यटक मेला आयोजित होता है।





जनपद अल्मोड़ा में लोगों की आस्था का प्रतीक चितई स्थित गोलू मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। अल्मोड़ा, शीतलाखेत, बिनसर तथा रानीखेत प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अल्मोड़ा स्थिति जागेश्वर में प्राचीन मन्दिर समूह, बिनसर महादेव में शिव मन्दिर तथा गणनाथ में प्राचीन शिव मन्दिर हैं। दूनागिरि में प्राचीन धार्मिक स्थल है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।



जनपद बागेश्वर में कौसानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। बैजनाथ पुरातात्विक स्थल, पिण्डारी, कफनी पर्वतारोहण के प्रसिद्ध स्थल, विजयपुर, कांडा दर्शनीय स्थल तथा बागेश्वर जो सरयू व गोमती का संगम स्थल है, में बागनाथ का प्राचीन मन्दिर धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है।



जनपद पिथौरागढ़ में चौकोड़ी, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर तथा गंगोलीहाट में माँ कालिका देवी मन्दिर, ध्वज में देवी का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। पिथौरागढ़, चण्डाक, थल केदार, नारायण आश्रम, मुनस्यारी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं।

जनपद चम्पावत में लोहाघाट मायावती आश्रम, बाणासुर का किला, श्यामलाताल, रीठासाहब



में सिक्खों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा तथा देवीधुरा में प्रसिद्ध बाराही मन्दिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरि में श्री पूर्णा देवी जी का मन्दिर स्थित है। चैत्र मास में एक माह का मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

**मण्डल के प्रमुख पर्यटक स्थलो का वर्णन :-** अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय कुमायूँ की प्राचीन इतिहास की झलक पाने के लिए आदर्श संग्रहालय है। जहाँ कत्यूर व चंद शासन काल की ऐतिहासिक वस्तुएँ व स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित दस्तावेज आदि प्रदर्शित हैं।

चितई मन्दिर कुमाऊँ में "गोल्लू" का अति प्राचीन मन्दिर है। मान्यता है कि मन्तें मांगने पर पूर्ण होती है तथा मन्त पूर्ण होने पर मन्दिर में घंटी अर्पित की जाती है। इसलिए मन्दिर प्रांगण में असंख्य छोटी-बड़ी घंटियां टंगी हैं।

**हिरन पार्क :-** अल्मोड़ा से 3 किमी० दूर नारायण तिवाड़ी देवाल नामक स्थान पर एक छोटा सा चिड़िया घर है। जहाँ हिरन, तेंदुआ, बाघ, भालू है।

अल्मोड़ा से 6 किमी० दूर कलमटिया पहाड़ी की चोटी पर कसार देवी मन्दिर है। कई विदेशी पर्यटक यहाँ के शान्त वातावरण से वशीभूत होकर यहाँ रुकते हैं। अल्मोड़ा से 30 किमी० दूर 2420 मी० की ऊँचाई पर बिन्सर स्थित है, जहाँ से चौखम्भा, त्रिशूल, नन्दादेवी, शिवलिंग तथा पंचाचूली की हिमाच्छादित चोटियों का बहुत मनोरम दृश्य दिखता है। यहाँ काफी घना जंगल है जिसमें कई प्रकार के जानवर, पक्षी तथा फूल पाये जाते हैं इसके अतिरिक्त कोशी में कटारमल सूर्यमन्दिर स्थित है। कत्यूरी शासन द्वारा कटारमल में सूर्य मन्दिर का निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व किया गया है। इस मन्दिर की तुलना कोणाक्र के सूर्य मन्दिर से की जाती है। स्थानीय जनता का मुख्य आस्था केन्द्र जागेश्वर मन्दिर के प्रांगण में चन्दवंश के विभिन्न शासकों द्वारा 164 मन्दिर निर्मित कराये गये। यह मन्दिर अल्मोड़ा से 34 किमी० दूर स्थित है। इनमें भगवान जागेश्वर, मृत्युंजय व पुष्टि देवी आदि

का मन्दिर चन्द्र कालीन स्थापत्य के नमूने हैं। चन्द्र राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर, जहाँ से हिमालय का विस्तृत श्रृंखलाओं का दृश्य दिखता है। जैसे केदारनाथ, चौखम्बा, त्रिशूल, नन्दादेवी, नन्दाकोट और पंचाचूली पर्वतों के अद्भुत दर्शन होते हैं। अल्मोड़ा का मनमोहक पर्यटक स्थल रानीखेत है। हिमालय दर्शन व सुहावनी जलवायु के कारण इसे हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। रानीखेत अपनी शौर्य गाथाओं के साथ छावनी क्षेत्र व कुमायूँ का मुख्य पर्यटक स्थल है। रानीखेत से 10 किमी० चौबटिया एशिया का सबसे बड़ा फल उद्यान है।

बागेश्वर में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव स्थल भी है। पिण्डारी, कफनी, सुन्दरढूँगा जैसे ग्लेशियरों को ट्रेकिंग टूर यहाँ से जाते हैं। अल्मोड़ा से 53 किमी० व बागेश्वर से 39 किमी० की दूरी पर कौसानी प्राकृतिक सौन्दर्य व हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का केन्द्र है। सन् 1929 में कुमायूँ भ्रमण के दौरान महात्मा गाँधी जब कौसानी आये, तो उन्होंने इसे भारतवर्ष का स्विटजरलैण्ड कहा था। कौसानी से 17 किमी० की दूरी पर स्थित बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित है।

नैनीताल एक विख्यात पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। प्राकृतिक झीलों का नैनीताल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाने के कारण इसे झीलों का जनपद भी कहा

जाता है। पूर्व में नैनीताल जनपद में लगभग 60 झीलें थीं। मानवीय छेड़छाड़ व प्राकृतिक कारणों से 60 झीलों के स्थान पर अब गिनीचुनी ही झीलें शेष हैं। फिर भी नैनीताल देश में अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ख्याति प्राप्त है तथा जिला एवं कुमायूँ मण्डल का मुख्यालय भी है। पर्यटन सीजन मार्च से जून तथा सितम्बर से अक्टूबर के अन्त तक रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए निकटस्थ रेलवे स्टेशन काठगोदाम व निकटस्थ हवाई अड्डा पन्तनगर (फूलबाग) है। नैनीताल से 22 किमी० दूर भीमताल झील अपने सौन्दर्य व टापू के लिए प्रसिद्ध है तथा नैनीताल से 26 किमी० की दूरी पर नौकुचियाताल, नैनीताल से 21



किमी० की दूरी पर सातताल स्थित है जो प्रकृति की सौन्दर्यता को प्रसिद्ध करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पार्क में रंग बिरंगे पक्षी और शेर, हाथी, भालू, नील गाय, चीता, चीतल जैसे वन्य जीव स्वच्छन्द बिहार करते हैं। कालाढूँगी से



4 किमी० आगे नया गाँव में कार्बेट फाल भी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है।

अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैंची मन्दिर जहाँ नीम करौली महाराज आश्रम, हनुमान व अन्य देवताओं के मन्दिर आस्थावान भक्तों के केन्द्र हैं। यहाँ रात्रि

विश्राम की व्यवस्था भी है। जून माह की 15 तारीख को कैंची धाम में नीम करौली महाराज के जन्म दिन पर विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

ऊधमसिंह नगर में नानकमत्ता सिक्खों के लिए आदरपूर्ण स्थान है। यहाँ का गुरुद्वारा, कुआँ व पीपल वृक्ष प्रसिद्ध है। यह विश्वास है कि यहाँ गुरु नानकदेव ने विश्राम किया था।

पिथौरागढ़ शहर से 7 किमी० दूरी पर चण्डाक नामक स्थान से पिथौरागढ़ का विहंगम दृश्य दर्शनीय है। यहाँ मोस्टमानो मन्दिर में अगस्त माह में विशाल मेला आयोजित होता है। यहाँ मैग्नासाइड खनिज की खान व कारखाना है। पिथौरागढ़ से 18 किमी० दूर ध्वज से हिमालय श्रृंखलाओं के विस्तृत दर्शन होते हैं। शहर से 6 किमी० की दूरी पर थल केदार में भगवान शिव का मन्दिर है। जहाँ शिव रात्रि मेला महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ से 77 किमी० की दूरी पर गंगोलीहाट का महाकाली मन्दिर देश के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। गंगोलीहाट से 6 किमी० पर गुप्तड़ी तथा वहाँ से 8 किमी० पर पाताल भुवनेश्वर में गुफाओं का रहस्य व दैवीय संसार है। यहाँ महादेव व शेष नाग का निवास स्थान माना जाता है। गुफा में विभिन्न दैवी आकृतियों का निर्माण धार्मिक आस्था का कारण है। पिथौरागढ़ से 112 किमी० व बेरीनाग से 9 किमी० दूर देवदार, बॉज, बुराश के पेड़ों के बीच स्थित चौकोड़ी हिमालय के सुन्दर स्थानों में से एक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्वामी नारायण द्वारा स्थापित नारायण आश्रम अपने प्राकृतिक व शान्त सौन्दर्य का प्रतीक है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा मुनस्यारी तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ से पंचाचूली शिखर का नया रूप दिखता है। जनपद चम्पावत में स्थित श्री पूर्णागिरी का मन्दिर भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरी मन्दिर में प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर-दूर से कई श्रद्धालु आते हैं।

उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मण्डल में जनपदवार उपलब्ध पर्यटन स्थल एवं पर्यटक आवास गृह तथा उनमें उपलब्ध शय्याओं का विवरण निम्न प्रकार है।



क्र० सं०	जनपद का नाम	पर्यटक स्थलों की संख्या	पर्यटक आवास गृहों की संख्या	पर्यटक आवास गृह/रैनबसेरों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1	अल्मोड़ा	4	12	430
2	बागेश्वर	25	15	368
3	नैनीताल	30	14	595
4	ऊधमसिंह नगर	13	2	30
5	पिथौरागढ़	24	21	503
6	चम्पावत	28	7	196
<b>योग मण्डल</b>		<b>124</b>	<b>71</b>	<b>2122</b>

उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु लाभार्थियों को 20 प्रतिशत मार्जन मनी का प्राविधान है।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यो हेतु राज सहायता दी जाती है :-

1. 8 से 10 कमरे युक्त होटलनुमा आवासीय इकाई की स्थापना।
2. मोटर वर्कशाप/मोटर गैराज की स्थापना।
3. बस/टैक्सी परिवहन सुविधा संचालन योजना।
4. साहसिक क्रियाकलाप हेतु उपकरण क्रय योजना।
5. साधनाकुटी एवं योगध्यान केन्द्रों का विकास।
6. स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्र।
7. टैन्ट आवासीय सुविधाओं की स्थापना।
8. पी०सी०ओ० युक्त पर्यटक सूचना केन्द्र/रेस्टोरेन्ट का निर्माण।
9. फास्ट फूड केन्द्रों की स्थापना।



**वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति**  
**माह: मार्च, 2016** **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र० सं०	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य (अनन्तिम)	बैंको को प्रेषित प्रार्थना पत्र		बैंको द्वारा स्वीकृत प्रार्थना पत्र संख्या		बैंको द्वारा वितरित प्रार्थना पत्र	
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अल्मोड़ा	43	49	437.72	34	266.91	34	115.20
2	बागेश्वर	50	128	610.64	67	297.01	67	297.01
3	पिथौरागढ़	42	47	347.24	35	232.21	35	232.21
4	चम्पावत	23	23	286.71	19	213.93	19	213.93
5	नैनीताल	50	111	501.2	55	165.96	55	165.96
6	ऊधमसिंह नगर	23	33	520	24	414.04	23	374.04
<b>योग कुमाऊँ</b>		<b>231</b>	<b>391</b>	<b>2703.51</b>	<b>234</b>	<b>1590.06</b>	<b>233</b>	<b>1398.35</b>

## अध्याय – 22

### सेवायोजन

मण्डल के सभी जनपदों में एक सेवायोजना कार्यालय की स्थापना की गई है,



जिसमें जिला सेवायोजन अधिकारी कार्यरत होते हैं। विभाग द्वारा चलाये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनायें निम्न प्रकार हैं :-

1. बेरोजगार व्यक्तियों का रोजगार हेतु पंजीयन कराना।
2. व्यवसाय मार्ग निर्देशन का कार्य।
3. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्वतः रोजगार सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देना।
4. समाचार पत्रों के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी जानकारी देना।
5. शिक्षण मार्ग निर्देशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को रोजगार सहायता प्राप्त करने हेतु योग्य बनाना।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2015-16 में सेवायोजन कार्यालय द्वारा किये गये कार्य विवरण निम्न प्रकार रहा है :-

क्र० सं०	जनपद का नाम	सेवायोजन कार्यालयों की संख्या	जीवित पंजिका पर अभ्यर्थियों की संख्या	वर्ष में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	वर्ष में कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अल्मोड़ा	2	69785	15456	--
2	बागेश्वर	1	31719	7646	218
3	नैनीताल	4	102146	22560	11
4	ऊधमसिंह नगर	2	105200	24304	511
5	पिथौरागढ़	1	71396	11885	--
6	चम्पावत	1	23844	5834	159
<b>योग मण्डल</b>		<b>11</b>	<b>404090</b>	<b>87685</b>	<b>899</b>

### अध्याय – 23

#### निर्बल वर्ग हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम

##### शैक्षिक उत्थान की योजनाएं

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करने हेतु छात्रवृत्ति योजनायें संचालित की जाती हैं।

##### अनुसूचित जाति का कल्याण

1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 :- अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उनके माता पिता/अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रू० 50.00 प्रति माह कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रू० 80.00 प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा में 24644, बागेश्वर में 14480, नैनीताल में 25041, ऊधमसिंह नगर में 100990, पिथौरागढ़ में 19319 तथा चम्पावत में 8651 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 193125 विद्यार्थियों को रू० 1440.86 लाख छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

2. पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9 एवं 10:- अनुसूचित जाति के कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके माता पिता की वार्षिक आय रु 2.00 लाख तक है, छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित है तथा डी0बी0टी0 के अर्न्तगत चयनित है छात्रवृत्ति की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में भारत सरकार द्वारा खातान्तरित की जाती है। छात्रवृत्ति डेस्कालर को रु. 150 एवं हास्टलर रु. 350 मासिक अधिकतम 10 माह के लिये अनुमन्य इसके अतिरिक्त तदर्थ अनुदान डेस्कालर को रु. 750 एवं हास्टलर को रु. 1000 वार्षिक दिये जाने को प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा में 5733, बागेश्वर में 2466, नैनीताल में 1220, ऊधमसिंह नगर में 2540, पिथौरागढ़ में 3758 तथा चम्पावत में 1012 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 16729 विद्यार्थियों को रु0 376.7175 लाख छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

3. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना :- अनुसूचित जाति के कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर, मेडिकल, इन्जीनियरिंग कक्षाओं तक अध्ययन छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। रु0 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के आवासीय छात्रों को न्यूनतम रु0 380.00 प्रतिमाह अधिकतम रु0 1200.00 तक तथा अनावासीय छात्रों को न्यूनतम रु0 230.00 प्रतिमाह अधिकतम रु0 550.00 प्रतिमाह दिये जाते हैं। छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया पूर्वदशम छात्रवृत्ति की भांति अपनायी जाती है। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में 249, बागेश्वर में 382, नैनीताल में 1973, ऊधमसिंह नगर में 4877, पिथौरागढ़ में 783 तथा चम्पावत में 275 छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है। इस प्रकार मण्डल में कुल 8539 विद्यार्थियों को रु0 246.38 लाख छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

4. अनुसूचित जातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना :- अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं/सिविल सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाये जो कोचिंग प्रदान करते हैं के माध्यम से प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग दिये जाने का प्राविधान है।

5. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय :- समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा, अतिरिक्त भोजन, आवास, कपड़े, कापी, किताब आदि की सुविधायें निशुल्क दी जाती हैं। कुमायूँ मण्डल में जनपद अल्मोड़ा में जैती व ऊधमसिंह नगर में एक-एक बालकों के आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित हैं। वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा के जैती में रू0 20.27 लाख, ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर में 60 लाभार्थियों पर रू0 43.81 लाख तथा जनपद नैनीताल में बेतालघाट में 141 लाभार्थियों पर रू0 77.37 लाख व्यय किये गये हैं।

6. अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास :- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें निशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। कुमायूँ मण्डल में जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा, नैनीताल में पाइन्स, शहीद सैनिक स्कूल परिसर, पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शहर व चम्पावत में लोहाघाट में बालकों एवं पिथौरागढ़ में बालिकाओं के लिए एक छात्रावास स्थापित है। उक्त छात्रावासों में निशुल्कआवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु जनपद नैनीताल-पाइन्स में 42 लाभार्थियों पर रू0 34.685 लाख, अल्मोड़ा में 38 लाभार्थियों पर रू0 21.60 लाख, पिथौरागढ़ में 98 लाभार्थियों पर रू0 30.90 लाख व्यय किया गया है। चम्पावत में रू0 16.14 लाख में से 48 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

7. अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों को आर्थिक सहायता :- सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न किये जाने पर अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अत्याचार से उत्पीड़ित व्यक्ति को समाज कल्याण अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी की संस्तुति पर आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा में 8, बागेश्वर में 9, नैनीताल में 17, ऊधमसिंह नगर में 11, पिथौरागढ़ में 2 तथा चम्पावत में 1 उत्पीड़ित को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मण्डल में कुल 48 लोगों को रू0 23.16 लाख आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

8. गौरा देवी कन्याधन योजना (अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु):- बी0पी0एल0 परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रू 15976/- तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21206/- वार्षिक आय वाले परिवारों की

बालिकाओं को इण्टरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर गौरा देवी कन्याधन योजना में रु. 50000/- के राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक एफ.डी. के रूप में शिक्षा के रूप में प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 में जनपद नैनीताल में 1073, अल्मोड़ा में 696, पिथौरागढ़ में 469, बागेश्वर में 392, चम्पावत में 207 तथा ऊधमसिंह नगर में 897 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मण्डल में कुल 3734 बालिकाओं को लाभान्वित कर रु0 1648.00 लाख व्यय किया गया है।

9. **अटल आवास योजना :-** यह योजना अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु मण्डल में संचालित की जा रही है, जिस हेतु जनपद नैनीताल में 34, बागेश्वर में 11, चम्पावत में 30 तथा ऊधमसिंह नगर में 18 आवासों का निर्माण किया गया। इस प्रकार मण्डल में 93 आवासों पर रु0 30.45 लाख व्यय किया गया।

### पिछड़ी जातियों का कल्याण

1. **पूर्वदशम छात्रवृत्ति :-** वर्ष 2015-16 में पिछड़ी जाति के कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत जनपद अल्मोड़ा में 1071, बागेश्वर 76, नैनीताल में 1769, ऊधमसिंह नगर में 12912, पिथौरागढ़ में 1520 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 17348 विद्यार्थियों को रु0 198.82 लाख छात्रवृत्ति वितरित की गयी।

2. **दशमोत्तर छात्रवृत्ति :-** वर्ष 2015-16 में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को जनपद अल्मोड़ा में 260, बागेश्वर में 159, नैनीताल में 1027, ऊधमसिंह नगर में 2877, पिथौरागढ़ में 1780 तथा चम्पावत में 462 छात्रवृत्ति वितरित की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 6565 छात्र/छात्राओं को रु0 424.01 लाख छात्रवृत्ति वितरित की गयी।

### सामाजिक विकास हेतु कार्यक्रम

1. **वृद्धावस्था पेंशन :-** वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-6-2016 से पेंशन दर रु0 1000/-प्रतिमाह तथा माह मार्च 2014 से मासिक आय रु0 4000/-प्रतिमाह की गयी हैं जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के वृद्धजनों को 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग में रु0 500/-प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को रु0 500/-प्रतिमाह

इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन के रूप में सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा रु0 1000/-प्रतिमाह के अन्तर्गत पेशन का शेष अंश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2015-16 को अल्मोड़ा में 41329, बागेश्वर में 17571, नैनीताल में 24331, ऊधमसिंह नगर 45691, पिथौरागढ़ में 21413 तथा चम्पावत में 12773 व्यक्तियों को वृद्धा पेशन वितरित की गयी है। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में 163378 व्यक्तियों को पेशन प्रदान की गयी है।

**2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :-** 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के आश्रित को एकमुश्त रु0 20,000/- की धनराशि अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 को अल्मोड़ा में 289, बागेश्वर में 178, नैनीताल में 250, ऊधमसिंह नगर 353, पिथौरागढ़ में 111 तथा चम्पावत में 71 परिवारों को अनुदान दिया गया। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में 1252 परिवारों को अनुदान प्रदान किया गया।

**3. अन्य सहायता :-** अनुसूचित जाति शादी बीमारी हेतु रु 50000.00 व बीमारी के इलाज हेतु रु0 10000.00 की सहायता समाज कल्याण के विभाग द्वारा दी जाती है। वर्ष 2015-16 में कुमायूँ मण्डल में अल्मोड़ा में 235, बागेश्वर में 270, नैनीताल में 258, ऊधमसिंह नगर में 432, पिथौरागढ़ में 163 तथा चम्पावत में 156 निराश्रित विधवाओं की बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता प्रदान की गयी है। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में 1514 निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान की गयी।

**4. किसान पेंशन योजना -** किसान पेंशन योजना 15 अगस्त 2014 से लागू की गई है। किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के किसानों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना की भांति रु 1000 /- (रूपये आठ सौ मात्र) प्रतिमाह पेंशन अनुमन्य की जायेगी। किसान पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को किसान पेंशन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। किसान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये ऐसे किसानों को भूमि के सम्बन्ध में रु 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे किसान जो वर्तमान में स्वयं की भूमि में खेती कर रहे हों तथा जिस दिन से ऐसे किसानों द्वारा स्वयं की भूमि खेती करने के कार्य बन्द किया जायेगा, उसी दिन से इस योजना के अन्तर्गत



दी जा रही है पेंशन की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी। वर्ष 2015-16 को अल्मोड़ा में 1500, बागेश्वर में 708, नैनीताल में 2231, ऊधमसिंह नगर 1073, पिथौरागढ़ में 1970 तथा चम्पावत में 1682 व्यक्तियों को किसान पेंशन वितरित की गयी है। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में 9164 व्यक्तियों को किसान पेंशन प्रदान की गयी है।

5. विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान – इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्ग की विधवाओं को पुत्री की शादी हेतु रू0 50000 की धनराशि अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2015-16 को अल्मोड़ा में 11, बागेश्वर में 10, नैनीताल में 11, ऊधमसिंह नगर 11, पिथौरागढ़ में 11 तथा चम्पावत में 10 व्यक्तियों को किसान पेंशन वितरित की गयी है। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में 64 निराश्रित विधवाओं को सहायता प्रदान की गयी है।

#### विकलांगों के कल्याणार्थ योजनायें

1. विकलांग छात्रवृत्ति :- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के जिन विकलांग अभिभावकों की मासिक आय रू0 2000/-प्रतिमाह के अन्तर्गत है, उनके विकलांग बच्चों को जो अध्ययनरत हैं, को विकलांग छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 में कक्षा 8 से ऊपर विकलांग छात्र/छात्राओं को जनपद बागेश्वर में 116, जनपद चम्पावत में 159 जनपद नैनीताल में 2012, जनपद अल्मोड़ा में 42, जनपद पिथौरागढ़ में 119 एवं जनपद ऊधमसिंह नगर में 347 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

2. विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण यंत्र क्रय अनुदान :- वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा में 18, बागेश्वर में 24, नैनीताल में 14, ऊधमसिंह नगर में 74, पिथौरागढ़ में 16 तथा जनपद चम्पावत में 19 विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण यंत्र क्रय हेतु अनुदान दिया गया है। इस प्रकार मण्डल में 165 लाभार्थियों को रू0 7.96 लाख अनुदान दिया गया है।

3. विकलांग पेंशन :- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांगजनों को, जिनकी मासिक आय रू0 4000/-प्रतिमाह से अधिक न हो, को रू0 1000/- प्रतिमाह की दर से पेंशन राज्य सरकार द्वारा

दी जाती है जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बहुविकलांगता (80 प्रतिशत से अधिक) श्रेणी में आते हैं, के 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग में रु0 300/-प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के विकलांगजनों को रु0 500/-प्रतिमाह इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेशन के रूप में सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा रु0 1000/-प्रतिमाह के अन्तर्गत पेशन का शेष अंश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा में 5222 बागेश्वर में 2441, नैनीताल में 4661, ऊधमसिंह नगर में 7071, पिथौरागढ़ में 2997 तथा जनपद चम्पावत में 2107 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गयी है। इस प्रकार मण्डल में कुल 24499 लाभार्थियों को रु0 2142.63 लाख भरण-पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

4. तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना :- इस योजनान्तर्गत कृषि व्यवसाय से जुडी ऐसी महिलाओं तथा पुरुषों को पेशन दिये जाने का प्राविधान है जो कृषि कार्य करते हुए विकलांग हुए हो और जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 20 से 40 प्रतिशत के मध्य हो तथा उनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष तक हो इस योजना के अन्तर्गत रु 1000/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जायेगा इस योजना में पात्रता हेतु मासिक आय का प्राविधान नहीं है। वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा में 22 बागेश्वर में 36, पिथौरागढ़ में 12 तथा जनपद चम्पावत में 96 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गयी है। इस प्रकार मण्डल में कुल 166 लाभार्थियों को रु0 5.94 लाख भरण-पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

5. विकलांग दम्पतियों के शादी पर अनुदान :- पूर्व में विकलांगजनों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरुष में विकलांगता होने पर रु0 11000/- तथा युवती अथवा दोनों के विकलांग होने पर रु0 14000/- की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान दिये जाने का प्राविधान था। वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रोत्साहन धनराशि को बढ़ाकर रु 25000/- कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा में 13 तथा चम्पावत में 4 विकलांग दम्पतियों के शादी पर अनुदान प्रदान किया गया है। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में कुल 17 विकलांग दम्पतियों को रु0 4.25 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है।

6. विकलांगों को निःशुल्क यात्रा :- राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों की यात्रा नियमावली 1998 के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के चिकित्साधिकारी द्वारा

प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर निशुल्क यात्रा सुविधा भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सहयोगियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है।

### महिला कल्याण की योजनायें

1. निराश्रित विधवा पेंशन :- 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवाओं को विधवा भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-6-2016 से पेंशन दर रु0 1000/-प्रतिमाह तथा माह मार्च 2014 से मासिक आय रु0 4000/-प्रतिमाह की गयी हैं जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली निराश्रित विधवाओं को 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग में रु0 300/-प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को रु0 500/-प्रतिमाह इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय विधवा पेशन के रूप में सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा रु0 1000/-प्रतिमाह के अन्तर्गत पेशन का शेष अंश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2015-16 में अल्मोड़ा में 13057, बागेश्वर में 5985, नैनीताल में 11337, ऊधमसिंह नगर में 17715, पिथौरागढ़ में 8079 तथा चम्पावत में 5772 निराश्रित विधवाओं को विधवा पेशन वितरित की गयी है, इस प्रकार मण्डल में कुल 61963 लाभार्थियों को रु0 5468.87 लाख भरण-पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

2. गौरा देवी कन्याधन योजना (सामान्य जाति की बालिकाओं हेतु) :- बी0पी0एल0 परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रु 15976/- तथा शहरी क्षेत्र में रु 21206/- वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं को इण्टरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर गौरा देवी कन्याधन योजना में रु. 50000/- के राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक एफ.डी. के रूप में शिक्षा के रूप में प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 में जनपद नैनीताल में 2736, अल्मोड़ा में 3310, पिथौरागढ़ में 1197, बागेश्वर में 1014, चम्पावत में 1072 तथा ऊधमसिंह नगर में 3245 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मण्डल में कुल 12574 बालिकाओं को लाभान्वित कर रु0 5740.00 लाख व्यय किया गया है।

3. परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु पेंशन योजना - उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला,

मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाएँ जो बी0पी0एल0 हो अथवा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 15976 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21206 से अधिक न हो, को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2015-16 में जनपद नैनीताल में 168, अल्मोड़ा में 315, पिथौरागढ़ में 71, बागेश्वर में 305, चम्पावत में 211 तथा ऊधमसिंह नगर में 48 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मण्डल में कुल 1118 महिलाओं को लाभान्वित कर रू0 79.43 लाख व्यय किया गया है।

### उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

#### उद्देश्य :-

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु रोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर में वित्तीय संस्साधन प्राप्त कर टर्मलोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न कौशल व्यवसायों में दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन फाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से टर्मलोन, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

#### लक्षित समूह :-

अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय शामिल हैं। इन समुदायों के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 1,03,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 81,000 से कम हो को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम की योजनाओं एवं राज्य की स्वतः रोजगार योजना हेतु पात्र होंगे। मुख्यमंत्री हुनर प्रशिक्षण योजना में वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 4,50,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 3,50,000 तक तथा मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउण्डेशन योजना हेतु वार्षिक आय रू0 1,00,000 मान्य है।

#### वित्तीय सहायता योजना :-

अ. राज्य निगम की योजनाए :-

1. **अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना :-** इस योजना में निगम द्वारा रू0 1,00,000 तक का ऋण स्वयं 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर, जिसमें योजना का 60 प्रतिशत टर्मलोन, 25 प्रतिशत अनुदान एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं का अंश वहन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत रू0 1.01 लाख से रू0 5 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से जिसमें योजना का 40 प्रतिशत टर्मलोन, 25 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत बैंक ऋण एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं का अंश वहन किया जाता है तथा रू0 5 लाख से रू0 10 लाख तक की योजना बैंक के माध्यम से जिसमें योजना का 60 प्रतिशत बैंक ऋण व 25 प्रतिशत अनुदान निगम द्वारा दिया जाता है। शेष 15 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। समस्त योजना का चयन जिला स्तर पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है। योजना हेतु पात्र अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अनुदान की राशि बैंक इन्डेंड होगी। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014, 15 में जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 15, 15, 42, 15, 15, 42 के सापेक्ष क्रमशः 18, 8, 29, 6, 22, 41 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

2. **मुख्यमंत्री हुनर योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षार्थियों को अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित होना चाहिए। लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षार्थी की शैक्षिक योग्यता पारम्परिक प्रशिक्षण हेतु कम से कम 5वीं/साक्षर होनी चाहिए। प्रार्थी की शिक्षा राजकीय स्कूलों से हुई हो अथवा मदरसों से हो दोनों मान्य होगी। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 3,50,000 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 4,50,000 तक होनी चाहिए। प्रार्थी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के समय छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 35, 80, 35, 80 के सापेक्ष क्रमशः 40, 85, 24, 50 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

3. **जीविका प्रोत्साहन योजना :-** जीविका अवसर प्रोत्साहन को अब परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हुनर योजना के अन्तर्गत समाहित कर लिया गया है। ऋण अनुदान पूर्ववत् दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों को जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 55,000 ग्रामीण क्षेत्र में रू0 40,000 हैं, को रू0 2 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान है। जिसमें 30 प्रतिशत मार्जिन मनी, ऋण 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10,000 अनुदान एवं लाभार्थी अंश सम्मिलित होता है। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 10, 20, 10, 20 के सापेक्ष क्रमशः 65, 75, 25, 50 व्यक्ति को लाभान्वित किया गया।

4. **मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेन्स फाउन्डेशन योजना :-** माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से इस योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के गरीब अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण अधिकतक रू0 5 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है। जिसकी वापिसी सेवा

नियोजित होने या शिक्षा पूर्ण होने के छः माह के उपरान्त से अगले 3 वर्षों में की जायेगी। पात्र अभ्यर्थी 12वीं उत्तीर्ण हो, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होनी चाहिये, परिवार की आय रू० 1 लाख से अधिक न हो। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 जनपद बागेश्वर, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 1, 1, 11 छात्रों हेतु क्रमशः 4.8, 3.06, 38.937 लाख रू० स्वीकृत कर 31 मार्च 2015 तक क्रमशः 1.2, 1.02, 15.595 लाख रू० भुगतान किय जा चुका है।

### (ब) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनायें

1. **सावधिक ऋण योजना (टर्म लोन योजना) :-** सावधिक ऋण योजना के अन्तर्गत रू० 20 लाख तक की परियोजना लागत पर विचार किया जाता हैं। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय निगम ऋणांश, 5 प्रतिशत राज्य निगम ऋणांश तथा शेष 5 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता हैं। राष्ट्रीय निगम के ऋणांश पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत हैं। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014, 15 में जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 15 के सापेक्ष 1 लाभार्थी को लाभान्वित किया गया। अन्य जनपदों हेतु वित्तीय वर्ष 2014, 15 में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

2. **लघु ऋण योजना :-** राष्ट्रीय निगम इस योजना में चयनित और प्रमाणित स्वयंसेवी संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के गरीबों को लघु वित्त ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं। सर्वप्रथम लाभार्थी को स्वयं सहायता समूह गठित करना पडता हैं और प्रभावी बचत की नियति डालनी पडती हैं। लघु योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को रू० 1 लाख तक का ऋण दिया जाता हैं। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय निगम ऋणांश, 5 प्रतिशत राज्य निगम ऋणांश तथा शेष 5 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता हैं। इस योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित हैं।

3. **वोकेशनल ट्रेनिंग (व्यवसायिक प्रशिक्षण) :-** अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को उनकी दक्षता बढ़ाने हेतु कौशल बृद्धि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं। योजना के अन्तर्गत स्थानीय प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता हैं। इस प्रशिक्षण की अवधि छः माह से 1 वर्ष तक होती हैं। अनुदान के रूप में प्रशिक्षण का (90 प्रतिशत व्यय राष्ट्रीय निगम तथा 10 प्रतिशत राज्य निगम द्वारा) रू० 2,000 प्रति छात्र की दर से वहन किया जाता हैं, तथा प्रति प्रशिक्षार्थी रू० 1,000 प्रतिमाह राष्ट्रीय निगम द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रस्ताव राज्य स्तर से स्वीकृत कर राष्ट्रीय निगम को प्रेषित किये जाते हैं। प्रशिक्षण दायी संस्थाओं से न्यूनतम 70 प्रतिशत प्लेसमेन्ट की शर्त निर्धारित हैं।

4. **शिक्षा ऋण योजना :-** गरीबी रेखा से दुगुनी आय के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को राष्ट्रीय निगम के माध्यम से विभिन्न व्यवसायिक शिक्षा हेतु 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं। जिसमें प्रतिवर्ष 3 लाख या अलग-अलग कोष की दर से व 5 वर्ष की व्यवसायिक शिक्षा हेतु अधिक से अधिक रू० 15,00,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं। स्वीकृत ऋण लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय निगम ऋणांश, 5 प्रतिशत राज्य निगम



ऋणांश तथा शेष 5 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2 के सापेक्ष 1 लाभार्थी को लाभान्वित किया गया।

5. **रहबर प्रशिक्षण योजना :-** इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 40, 60, 20, 60 के सापेक्ष क्रमशः 25, 80, 20, 65 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

### उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, महिला एवं सैनिक कल्याण के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का गठन 25 अक्टूबर 2001 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन किया गया है। निगम का प्रशासनिक विभाग समाज कल्याण विभाग है। वर्ष 2006 में अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम का गठन पृथक से हो चुका है। निगम द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लक्षित वर्गों के आर्थिक, सामाजिक कल्याण हेतु चलायी जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

1. **स्वतः रोजगार योजना :-** यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे बीस सूत्री कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता (सूत्र संख्या 10(34) तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता (सूत्र संख्या 10(36) मद नाम से सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15,976.00 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21,206.00 कम वार्षिक आय वाले परिवारों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में रू0 20.00 हजार, रू0 7.00 लाख तक की परियोजनाओं के संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत/सरकारी ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निगम द्वारा योजना की लागत का 50 प्रतिशत या रू0 10,000.00 जो भी कम हो अनुदान एवं रू0 20,000.00 से अधिक लागत वाली योजना में अनुदान के अतिरिक्त योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण भी 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर निगम द्वारा दिया जाता है। लेकिन अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण योजना लागत का 50 प्रतिशत से अधिक

नहीं होगा। शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में दी जाती है। सूत्र संख्या 10 (36) में अनुसूचित जनजाति आर्थिक सहायता मद में वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा में 0, बागेश्वर में 01, नैनीताल में 04, ऊधमसिंह नगर में 43, पिथौरागढ़ में 08 तथा चम्पावत में 0 परिवारों को स्वतः रोजगार हेतु सहायता प्रदान की गयी है। सूत्र संख्या 10 (34) अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता के अन्तर्गत अल्मोड़ा में 147, बागेश्वर 80, नैनीताल 161, ऊधमसिंह नगर 200, पिथौरागढ़ 120, चम्पावत 55 परिवारों को स्वतः रोजगार हेतु सहायता प्रदान की गयी है।

## 2. हाथ से मैला उठाने वाले स्वच्छकारों के पुर्नवास की स्वरोजगार योजना

**(SRMS) :-** वर्ष 2007 से मैनुअल स्केवैन्जरो के पुर्नवास की स्वरोजगार योजना (SRMS) नयी योजना के रूप में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वह स्वच्छकार जो अपनी रोजी के लिये सर पर मैला ढोने जैसे अमानवीय एवं घृणित पैत्रिक धन्धे में लगे हैं, को इस घृणित पृथा से मुक्त कराकर सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इस राज्य में पाये गये 49 नगरीय क्षेत्रों में चिन्हित 5503 भवनों में उपलब्ध शुष्क शौचालयों में संलिप्त स्वच्छकारों के पुनर्वेक्षण का कार्य कराने के पश्चात जनपद पिथौरागढ़ में 05, जनपद चम्पावत में 02, जनपद नैनीताल में 10 एवं जनपद ऊधमसिंहनगर में 30 स्वच्छकार चिन्हांकित किए गए हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से चिन्हांकित स्वच्छकारों को इस अमानवीय कार्य से पृथक करने हेतु उनके बचत खाते के माध्यम से प्रथम चरण में रू0 40,000.00 की नगद धनराशि हस्तान्तरित की जा चुकी है। जनपद नैनीताल में 05, ऊधमसिंहनगर में 02, चम्पावत में 02, पिथौरागढ़ में 05 स्वच्छकारों को योजनान्तर्गत अपना रोजगार संचालित करने हेतु बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण किया गया।

3. **शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना :-** जिन अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के पास शहरी क्षेत्र/अर्द्ध शहरी क्षेत्र अथवा उपयुक्त व्यवसायिक स्थलों पर अपनी स्वयं की भूमि उपलब्ध है। उन्हें उस भूमि पर दुकान/विपणन केन्द्र बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 85,000.00 एवं शहरी क्षेत्रों में रू0 78,000.00 का

ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें रू0 10000/- अनुदानस्वरूप दिये जाने का प्राविधान है तथा अवशेष ऋण की वसूली 120 समान किस्तों में की जाती है। दुकान बनाने के पश्चात् उन्हें अपना व्यवसाय चलाने हेतु भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा में 06, ऊधमसिंहनगर में 02, चम्पावत में 06, नैनीताल में 05, पिथौरागढ़ में 07 व बागेश्वर में 09 गत वर्षों की निर्माणाधीन दुकानें निर्मित हुई तथा जनपद चम्पावत में 03 व नैनीताल में 02 दुकान ऋण ग्रहिताओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु बैंकेबुल योजनान्तर्गत वित्तपोषित भी किया गया।

**4. प्रशिक्षण योजनाएं :-** अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जैसे कम्प्यूटर, सिलाई, कड़ाई, बुनाई आदि। प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को निगम द्वारा वहन किया जाता है। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। प्रशिक्षण के पश्चात् इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें। विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से 5 प्रतिशत धनराशि प्रशिक्षण पर व्यय करने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना(अनुसूचित जाति/जनजाति/दिब्यांग) के अन्तर्गत भी लक्षित वर्गों को क्षमता विकास हेतु कौशल वृद्धि प्रशिक्षण गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किया जाता है तथा प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार हेतु वित्तपोषण भी किया जाता है। वर्ष 2015-16 में जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत 900 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए रू0 33.60 लाख तथा जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना(अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत 340 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए रू0 12.60 लाख की धनराशि व्यय की गई।

**5. शिल्पी ग्राम योजना(अनुसूचित जाति/जनजाति) :-** अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परम्परागत शिल्पियों का चिन्हांकन कर उनके प्रचलित शिल्प को पुर्नजीवित एवं विकसित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने एवं प्रशिक्षणोपरान्त पात्र बेरोजगारों को संबंधित व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्तपोषण भी किये जाने का प्राविधान है।

6. **जनश्री बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना) :-** निगम द्वारा नोडल एजेंन्सी के रूप में उत्तराखण्ड में निवासरत 623790 बी0पी0एल0 परिवारों के 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य मुखिया की स्वाभाविक मृत्यु पर रू0 30,000/- , दुर्घटना में मृत्यु पर रू0 75,000/-, दुर्घटना में स्थाई अपंगता पर रू0 75,000/- तथा आंशिक अपंगता पर रू0 37,500/- हितलाभ भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त योजना के सदस्य के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को शिक्षा सहयोग योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू0 100/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में जनपद अल्मोड़ा में 224 दावों में रू0 67.65 लाख, जनपद पिथौरागढ़ में 196 दावों में रू0 66.90 लाख, जनपद चम्पावत में 95 दावों में रू0 18.60 लाख, जनपद ऊधमसिंहनगर में 264 दावों में रू0 79.72 लाख, जनपद नैनीताल में 141दावों में रू0 42.75 लाख तथा जनपद बागेश्वर में 104 दावों में रू0 32.55 लाख की धनराशि का भुगतान दावाकर्ताओं को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कराया गया तथा शिक्षा सहयोग छात्रवृत्ति के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में 2807 छात्रों को रू033.684लाख, जनपद पिथौरागढ़ में 1410छात्रों को रू016.92 लाख, जनपद चम्पावत में 1647 छात्रों को रू019.764लाख, जनपद ऊधमसिंहनगर में 2278 छात्रों को रू027.336 लाख, जनपद नैनीताल में 1758छात्रों को रू0 21.096 लाख तथा जनपद बागेश्वर में 3835 छात्रों को रू046.02 लाख की छात्रवृत्ति भुगतान की गई।

7. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम,राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं में वित्तपोषण:-** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लक्षित वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर टर्म लोन उपलब्ध कराया जाता है।

8. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित कार्यक्रम :-**  
 अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत वाहन योजना, लघु व्यवसाय, लघु वित्त ऋण एवं विभिन्न प्रशिक्षण हेतु लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत योजना की लागत का 85 प्रतिशत ऋण एवं ₹0 10000/- अनुदान एवं शेष धनराशि निगम की मार्जिन मनी ऋण द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा सीधा वित्त पोषण किया जाता है।

## अध्याय – 24

### शान्ति एवं कानून व्यवस्था

आम नागरिकों के सहयोग के बिना किसी भी सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर भयमुक्त वातावरण बनाना पुलिस की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को नागरिकों के सक्रिय सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है।

मण्डल के रैगुलर पुलिस क्षेत्र में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है।

उत्तराखण्ड मित्र पुलिस की अवधारणा को साकार करने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाने के प्रयास प्रशासन स्तर पर किये जा रहे हैं।

कुमायूँ मण्डल में वर्ष 2015-16 में जनपदवार पुलिस स्टेशन (थाना)

मद	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
<b>पुलिस स्टेशन</b>							
ग्रामोण	6	4	11	7	4	4	<b>36</b>
नगरीय	4	10	3	10	2	4	<b>33</b>
जी0आर0पी0	0	1	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>70</b>

## अध्याय – 25

### मण्डल की आर्थिक समस्यायें तथा सुझाव

कुमायूँ मण्डल का लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है। शेष 25 प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है। जो जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में पड़ता है। मैदानी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र है। विकास की गति प्रदेश के औसत गति की तुलना में अधिक है। मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र जिनमें जनपद चम्पावत का अधिकतर क्षेत्र व अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल का कुछ पर्वतीय आता है, उनमें आर्थिक विकास सम्बन्धी अनेक समस्यायें हैं, जिनके कारण यहाँ पर विकास की गति धीमी है।

कुमायूँ मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक समस्यायें निम्न हैं :-

1. इस क्षेत्र की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। इस क्षेत्र में अधिकांश भूमि वनों के अन्तर्गत तथा कृषि के लिए अयोग्य होने के कारण कृषि योग्य भूमि बहुत कम बची है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 27 प्रतिशत भूमि ही कृषि योग्य है। यही कारण है कि लगभग 75 प्रतिशत कृषकों के पास एक हैक्टेयर से कम भूमि है। जोतें सीड़ी नुमा तथा बिखरी हुई हैं। सिंचाई साधनों की कमी के कारण अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। ऐसी स्थिति में परम्परागत कृषि मडुवा, साँवा आदि मोटे अनाजों की खेती से ग्रामों का आर्थिक विकास में अवरोध सिद्ध हो रहा है।
2. पर्वतीय भू-भाग में उद्योग धन्धों का अभाव होने के कारण रोजगार के अवसर नगण्य है तथा इस कारण रोजगार की तलाश में मैदानी भाग की ओर श्रम शक्ति का तेजी से पलायन हो रहा है। पर्वतीय भू-भाग में विद्युत की अनियमित आपूर्ति उत्पादों के समुचित विपणन व्यवस्था न होना भी प्रमुख समस्या है।
3. जीवन जल से जुड़ा है। पर्वतीय भू-भाग में पेयजल स्रोतों के सूखजाने अथवा जल स्तर कम हो जाने से ग्रीष्म काल में पेयजल एक प्रमुख समस्या बन जाती है।



4. पर्वतीय भू-भाग में पर्यटन की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, परन्तु अधिकांश पर्यटक स्थलों के लिए आवागमन के अच्छे साधन, ठहरने एवं भोजन हेतु अच्छे होटलों का अभाव होने के कारण पर्यटकों के आकर्षित नहीं होने से पर्यटन स्थलों का आर्थिक विकास में भी योगदान नहीं हो पा रहा है।

### उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

1. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय अधिकांश महिलाओं पर आधारित है। कृषि के सम्बन्ध में निर्णय भी महिलाओं द्वारा लिया जाता है। जोखिम लेने से बचने तथा कृषि की नई तकनीकों एवं उन्नत किस्म के बीजों की जानकारी न होने के कारण कृषि जोतें छोटी-छोटी, बिखरी तथा असिंचित होने के कारण परम्परागत कृषि कार्य ही अधिकांश क्षेत्रों में हो रहा है। अतः अधुनान्त कृषि तकनीक के सम्बन्ध में महिलाओं को प्रशिक्षित करना, कृषि उत्पादन के विपणन की जगह सुविधायें उपलब्ध कराना, कर उन्नत कृषि तथा औद्यानिकी तथा बेमौसमी सब्जियों, पुष्पों तथा जड़ी बूटियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा कृषि को उपयोगी बनाने के प्रयास कारगर हो सकते हैं।

2. पर्वतीय क्षेत्रों में Low Volume High Cost वाली औद्योगिक उत्पादकों की इकाईयों को प्रोत्साहित कर औद्योगिकीकरण की पहल की जाने से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर श्रम शक्ति के पलायन पर रोक लगाया जा सकता है। अतः Low Volume High Cost वाली औद्योगिक इकाईयों तथा सुविधायुक्त क्षेत्रों की पहचान के लिए कार्य दलों का गठन कर सार्थक प्रयास हो सकते हैं।

3. पर्वतीय भू-भाग में पेयजल स्रोतों पर जल संरक्षण के कार्य विशेष, कार्य योजना तैयार कर स्थानीय जनता में जागरूकता प्रदान कर जन सहयोग किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जल स्रोतों के आस पास बॉज, उतीस के पौध का रोपण, ट्रंचिंग खोद कर वर्षा के पानी को रोक कर जल संरक्षण का कार्य करने से पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। भूमि एवं जल संरक्षण योजना तथा जलागम

योजना में यह कार्य किया भी जा रहा है। ऐसे कार्यों के प्रभावों का भी समय समय पर अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

4. भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु अभी तक दूरस्थ स्थित पर्यटन स्थलों पर सुविधायें व्यापक स्तर पर उपलब्ध न होने के कारण अधिकांश पर्यटक नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी आदि चुने स्थानों पर जाते हैं। अतः दूरस्थ स्थित पर्यटक स्थलों के लिए आवागमन तथा निवास की सुविधाओं पर ध्यान देकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। पर्यटक सुविधाओं के लिए मध्यम वर्ग के पर्यटकों को भी ध्यान में रखने से पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि स्थानीय व्यक्तियों द्वारा टूरिस्ट गाइड का कार्य किया जाय तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही मण्डल में रोजगार के नये अवसर भी बढेंगे।

////////////////////

# कुमायूँ मण्डल



## संकेत

1. जनपद सीमा
2. तहसील सीमा
3. जनपद मुख्यालय
4. तहसील मुख्यालय